

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1227/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**CHITRANJAN JHA**

S/O LT DEVCHANDRA JHA

Address- AT AHYAPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7992472308


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC8261** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2196A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8261	BR2023-SC-2196A	01/08/2028	20/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/04/2024	03/07/2024	21/06/2024	21/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1228/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SATYANARAYAN RAY**

VINDA RAY

Address- GURDAH URF GHAUSNAGAR RUNNISAIDPUR SITAMARHI BIHAR  
843317

Mob. No. 8521986961


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA9861 के परमिट संख्या BR2023-SC-2193A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA9861	BR2023-SC-2193A	01/08/2028	20/09/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/03/2024	05/10/2024	06/02/2024	20/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1229/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## RAI AUTOMOBILES

S/O -PROP MR SAHDEV RAY

Address- AT-RAMASHISH CHOWK PS-HAJIPUR VAISHALI VAISHALI BIHAR  
999999

Mob. No. 8651578552


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA2354** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2194A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA2354	BR2023-SC-2194A	01/08/2028	08/01/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/05/2024	27/03/2024	19/06/2024	05/01/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1230/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## RAI AUTO MOBILES

I/C PROP- SAHDEV RAI

Address- AT- DIGHI KHURD PO- DIGHI KALA HAJIPUR BIHAR 844101

Mob. No. 9525474566


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA3577** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2195A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA3577	BR2023-SC-2195A	01/08/2028	22/11/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/02/2024	16/11/2024	19/06/2024	21/11/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1231/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VISHWAJIT MISHRA**

RANJEET KUMAR MISHRA

Address- RASULPUR JILANI CHAKKAR ROAD MUZAFFARPUR BIHAR  
842001

Mob. No. 9708186777


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE0072 के परमिट संख्या BR2021-SC-0124A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE0072	BR2021-SC-0124A	01/02/2026	03/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/02/2024	29/01/2025	18/10/2024	05/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1232 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SOUNDARYA KUMAR**

S/O RAVINDRA NATH CHOUBEY

Address- GOVINDGANJ NAWADA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845411

Mob. No. 9673915116


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PB0796** के परमिट संख्या **BR2024-SC-0322A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB0796	BR2024-SC-0322A	01/02/2029	05/06/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/03/2024	25/09/2024	30/05/2024	04/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1233/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MR. VINAY KUMAR CHAUBEY**

S/O- VISHNU CHAUBEY

Address- AT- GOVINDGANJ NAWADA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845411

Mob. No. 9673915116


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PB6135** के परमिट संख्या **BR2024-SC-0320A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB6135	BR2024-SC-0320A	01/02/2029	20/06/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/03/2024	17/06/2024	03/10/2024	05/11/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1234 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUNIL KUMAR CHAUBEY**

VISHNU CHAUBEY

Address- WARD 03, NEAR POKHARA GOBIND GANJ MANAPUR ARERAJ  
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845411

Mob. No. 9673915116


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB6486 के परमिट संख्या BR2024-SC-0321A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB6486	BR2024-SC-0321A	01/02/2029	30/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/03/2024	10/07/2024	30/06/2024	02/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1235 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NAGESHWAR RAY**

JAGDIP RAY

Address- VILL RUNNISAIDPUR PO RUNNISAIDPUR PS RUNNISAIDPUR  
SITAMARHI BIHAR 843328

Mob. No. 9934670554


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9251 के परमिट संख्या BR2024-SC-0315A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9251	BR2024-SC-0315A	01/02/2029	02/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/05/2024	19/05/2024	12/07/2024	29/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1236/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**JITENDRA KUMAR RAY**

SATTAN RAY

Address- JALALPUR JALALPUR ANRUDH VAISHALI BIHAR 844121

Mob. No. 9771745019


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE4100** के परमिट संख्या **BR2024-SC-0312A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4100	BR2024-SC-0312A	01/02/2029	26/08/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/05/2024	18/09/2024	02/07/2024	21/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1237/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SATENDER KUMAR**

SATTAN RAY

Address- JALALPUR ANRUDH JALALPUR ANRUDH VAISHALI BIHAR  
844121

Mob. No. 7765940592


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF2303 के परमिट संख्या BR2024-SC-0310A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2303	BR2024-SC-0310A	01/02/2029	19/10/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	11/10/2024	24/04/2024	17/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1238/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SATENDER KUMAR**

SATTAN RAY

Address- ADD-JALALPUR URF BISHUNPUR GAMHIR VAISHALI BIHAR  
844121

Mob. No. 7765940592


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF5807** के परमिट संख्या **BR2024-SC-0308A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF5807	BR2024-SC-0308A	01/02/2029	05/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	03/03/2024	05/03/2024	03/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1239/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SATENDER KUMAR**

SATTAN RAY

Address- ADD-JALALPUR URF BISHUNPUR GAMHIR VAISHALI BIHAR  
844121

Mob. No. 7765940592


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF5822** के परमिट संख्या **BR2024-SC-0309A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF5822	BR2024-SC-0309A	01/02/2029	05/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	03/03/2024	05/03/2024	03/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1240/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SHAKUNTALA DEVI**

LATE BAIDYANATH RAY

Address- AT-KULESARA DIH PO-CHHITRAULI PS-SAKRA MUZAFFARPUR  
BIHAR 843119

Mob. No. 8579097367


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PA5433** के परमिट संख्या **BR/106/SC/199/2011** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA5433	BR/106/SC/199/2011	01/03/2026	10/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/05/2024	14/02/2025	15/08/2024	18/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1241/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MURARI PRASAD U/LA B S R T C**

SHIV ROUT

Address- ATTA CHACKI ROAD NEAR CHAKPAR CHANKYA NAGAR

SAMPATCHAK \ KUMHARAR PATNA BIHAR 800026

Mob. No. 9939664373


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PK9148 के परमिट संख्या BR2022-SC-0457A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PK9148	BR2022-SC-0457A	01/03/2027	05/02/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/04/2024	02/12/2024	01/02/2025	01/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1242/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AJAY PANDEY**

RAMANAND PANDEY

Address- BANGARI PIPRA KOTHI PURBA CHAMPARAN BIHAR 845429

Mob. No. 9431288788


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR05P5947** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0687A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P5947	BR2023-SC-0687A	01/03/2028	10/04/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/02/2024	29/02/2024	12/09/2024	24/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1243 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAVINDRA NATH CHAUBEY**

S/O - SRI BISHUNU CHAUBEY

Address- AT- MANANPUR PS-GOVINDGANJ MOTIHARI PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845425

Mob. No. 9673915116


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA3428 के परमिट संख्या BR2023-SC-0677A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA3428	BR2023-SC-0677A	01/03/2028	19/09/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/03/2024	13/09/2024	26/10/2024	12/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1244/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ANU SHUKLA**

W/O VIJAY KUMAR SHUKLA

Address- NAYA TOLA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7488287099


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE9651** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0684A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE9651	BR2023-SC-0684A	01/03/2028	29/12/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/04/2024	21/10/2024	15/03/2024	28/12/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1245/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ANU SHUKLA**

W/O VIJAY KUMAR SHUKLA

Address- NAYA TOLA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7488287099


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE9851** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0685A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE9851	BR2023-SC-0685A	01/03/2028	03/10/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/03/2024	11/08/2024	11/10/2024	10/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1246/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUNIL KR CHAUBEY**

S/O -VISHNU CHAUBEY

Address- VILL-SALMEPUR CHAPRA CHAPRA SARAN SARAN BIHAR 841301

Mob. No. 9673915116


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR04F7844** के परमिट संख्या **BR2022-SC-1065A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR04F7844	BR2022-SC-1065A	01/05/2027	15/10/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/03/2024	18/09/2024	10/04/2024	02/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1247/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**KAILASH MISHRA**

S/O- RAMAKANT MISHRA

Address- AT- BHERIYAH SOTI PO- HARIDASPUR PS- KANTI  
MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. No. 6206193096


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PG9896** के परमिट संख्या **0424/2013** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PG9896	0424/2013	01/10/2028	22/11/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/02/2024	14/11/2024	22/11/2024	04/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1248/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ KUMAR SINGH (UNDER BSRTC)**

S/O-RAJENDRA SINGH

Address- BANUCHHAPAR DEVNAGAR BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN  
BIHAR 845438

Mob. No. 7991127894


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR22PA0151 के परमिट संख्या BR2021-SC-1928A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22PA0151	BR2021-SC-1928A	01/09/2026	14/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/05/2024	29/06/2024	04/04/2024	05/11/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1249/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SHASHI RANJAN KUMAR**

S/O - UGESHWAR PRASAD

Address- KOLAHA CHAK BHEDGGAWAN, PUNPUN HAZRAT PATNA BIHAR  
804451

Mob. No. 7004799500


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PL9851 के परमिट संख्या BR2023-SC-1028A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL9851	BR2023-SC-1028A	02/04/2028	25/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/03/2024	16/03/2024	25/02/2024	26/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1250/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMAR JYOTI CARRIERS PVT LTD**

S/O 0000000

Address- AT EXIHIBITION RAD PATNA PATNA PATNA BIHAR 999999

Mob. No. 9334902252


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD4551** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1033A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD4551	BR2023-SC-1033A	02/04/2028	05/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/03/2024	10/06/2024	05/02/2025	20/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1251/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ KUMAR YADAV U/LA B S R T C**

LATE CHANDESHWAR RAI

Address- B B GANJ BHAGWANPUR PS SADAR MUZAFFARPUR BIHAR  
842001

Mob. No. 9431266337


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF0129 के परमिट संख्या BR2023-SC-1030A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF0129	BR2023-SC-1030A	02/04/2028	17/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/05/2024	14/11/2024	23/01/2025	13/11/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1252 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ KUMAR YADAV U/LA B S R T C**

S/O CHANDESHWAR RAI

Address- B.B GANJ BHAGWANPUR BHAGWANPUR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7903150976


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF0915 के परमिट संख्या BR2023-SC-1029A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF0915	BR2023-SC-1029A	02/04/2028	08/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/05/2024	22/02/2025	21/02/2025	31/01/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1253/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAJESH KR SINGH**

S/O LT BALDEO SINGH

Address- VILL MAHUA SINGHRAI PO MAHUA VAISHALI VAISHALI BIHAR  
844101

Mob. No. 9835295010


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC3457 के परमिट संख्या BR2024-SC-0337A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC3457	BR2024-SC-0337A	02/02/2029	30/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/03/2024	15/08/2024	03/06/2024	19/11/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1254/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MADAN MOHAN SHARMA**

BHUNESHWAR SHARMA

Address- AT-RUNNISAIDPUR PO-RUNNISAIDPUR PS-RAUNNISAIDPUR  
SITAMARHI BIHAR 843328

Mob. No. 9934670554


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD8951 के परमिट संख्या BR2024-SC-0335A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8951	BR2024-SC-0335A	02/02/2029	02/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/05/2024	19/05/2024	04/04/2024	29/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1255/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMAN DEVI**

W/O KAILASH MISHRA

Address- BHERIYAH I SOTHI HARIDASPUR KANTI MUZAFFARPUR BIHAR  
843109

Mob. No. 9925645874


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE7996 के परमिट संख्या BR2020-SC-0006A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7996	BR2020-SC-0006A	02/01/2025	23/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/02/2024	01/02/2025	22/02/2025	24/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1256/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ABINASH KUMAR**

LT. SACHIDANAND PD SINGH

Address- NEAR HIGH SCHOOL CHANPURA CHAK MAKRAND BIDUPUR  
HAJIPUR VAISHALI BIHAR 844101

Mob. No. 9279318317


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE1157** के परमिट संख्या **BR2022-SC-1259A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE1157	BR2022-SC-1259A	02/06/2027	11/01/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/04/2024	21/11/2024	05/01/2025	03/01/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1257/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMRESH KUMAR**

RAGHAV PRASAD SINGH

Address- AT-PO-CHANDPURA PS-BIDUPUR VAISHALI BIHAR 844502

Mob. No. 9110973355


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31PA7518** के परमिट संख्या **BR2022-SC-0461A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR31PA7518	BR2022-SC-0461A	02/03/2027	11/07/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/04/2024	24/05/2024	31/12/2024	26/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1258/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MR. VINAY KUMAR CHAUBEY**

S/O- VISHNU CHAUBEY

Address- AT- GOVINDGANJ NAWADA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845411

Mob. No. 9673915116


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PB6137** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0712A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB6137	BR2023-SC-0712A	02/03/2028	21/06/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/03/2024	17/06/2024	03/10/2024	05/11/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1259/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**GITA DEVI**

MAHESH RAI

Address- WARD NO 03 BARDIHA TURKI BARDIHA TURKI VAISHALI BIHAR  
843110

Mob. No. 9631473943


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF8575 के परमिट संख्या BR2023-SC-3144A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF8575	BR2023-SC-3144A	02/11/2028	14/09/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/03/2024	13/09/2024	14/09/2024	17/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1260 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SURESH KUMAR**

S/O LT INDRADEV NR MISHRA

Address- AT PRABHAT NAGAR PO BHAGWANPUR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7488287099


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC9951** के परमिट संख्या **BR/106/SC/378/2012** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC9951	BR/106/SC/378/2012	02/09/2027	03/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/05/2024	29/05/2024	01/09/2024	27/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1261/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MR NAWAL KISHOR RAY**

JAGDEEP RAY

Address- AT RAMPUR HARI POST RAMPUR HARI MINAPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 843117

Mob. No. 9504954461


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE5361 के परमिट संख्या BR2023-SC-2207A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5361	BR2023-SC-2207A	03/08/2028	09/10/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2024	23/09/2024	25/09/2024	21/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1262 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SMT MADHUMALA**

SRI VIJAY KUMAR

Address- AT SHANTI NAGAR PO DUMRA PS DUMRA SITAMARHI BIHAR  
843302

Mob. No. 9771915145


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE2367 के परमिट संख्या BR2020-SC-0008A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE2367	BR2020-SC-0008A	03/01/2025	03/04/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/03/2024	07/06/2024	12/03/2024	26/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1263 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AJIT KR SHARMA U/LA BSRTC**

S/O - AVADHESH SHARMA

Address- KAUAMA PIPRADHI SHEOHAR SHEOHAR SHEOHAR BIHAR  
845454

Mob. No. 8789040211


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD7211 के परमिट संख्या BR2022-SC-0013A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7211	BR2022-SC-0013A	03/01/2027	24/08/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/05/2024	22/07/2024	24/08/2024	24/08/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1264/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ KUMAR YADAV**

S/O- CHANDESHWAR RAI

Address- AT- B B GANJ BHAGWANPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7903150976


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PG1109** के परमिट संख्या **BR2024-SC-0038A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PG1109	BR2024-SC-0038A	03/01/2029	02/01/2026

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/04/2024	01/01/2025	02/01/2025	03/01/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1265/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAVINDRA NATH CHAUBEY**

S/O -BISHNU CHAUBEY

Address- AT-ARERAJ GOVINDGANJ MOTIHARI MOTIHARI PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 9673915116


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA1603 के परमिट संख्या BR2023-SC-1875A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA1603	BR2023-SC-1875A	03/07/2028	11/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2024	12/10/2023	21/11/2024	07/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1266/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRAMOD KUMAR SINGH**

S/O BHARAT BHUSHAN SINGH

Address- JHAKHARA PIPRA KOTHI E CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN  
BIHAR 845401

Mob. No. 9934565005


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA4666 के परमिट संख्या BR2023-SC-1884A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA4666	BR2023-SC-1884A	03/07/2028	22/08/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/03/2024	27/09/2024	31/10/2024	20/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1267/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ASHOK KUMAR YADAV**

JAYKUMAR RAY

Address- AT-WARD NO-05 BARDIHA TURKI VAISHALI VAISHALI BIHAR  
843110

Mob. No. 9576496377


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PB1434 के परमिट संख्या BR2023-SC-1857A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB1434	BR2023-SC-1857A	03/07/2028	26/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/02/2024	22/12/2024	03/09/2024	03/09/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1268/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**UMESH KUMAR**

KAMLA SINGH

Address- HARPUR LAHAURI KOLHUA PAIGAMBERPUR NEW POLICE LINE  
MUZAFFARPUR BIHAR 843108

Mob. No. 9931702796


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF1758 के परमिट संख्या BR2023-SC-1876A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF1758	BR2023-SC-1876A	03/07/2028	27/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12/04/2024	12/07/2024	08/10/2024	22/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1269/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SAJJAN KUMAR LATH**

S/O LATE TULA RAM LATH

Address- SURSAND SITAMARHI BIHAR 843331

Mob. No. 9304160007


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR30P8842** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1858A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30P8842	BR2023-SC-1858A	03/07/2028	30/03/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/04/2024	08/02/2025	01/02/2025	28/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1270/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AJAY KUMAR**

DHARIKSHAN RAY

Address- WARD NO-11 VILL-PO-DHARAMPUR PS MINAPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 843117

Mob. No. 8521986961


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR30P9341** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1873A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30P9341	BR2023-SC-1873A	03/07/2028	30/01/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/04/2024	11/09/2024	31/08/2024	26/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1271/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**HEMANT KUMAR**

DILIP KUMAR THAKUR

Address- ADD POJHIYAN LALGANJ VAISHALI BIHAR 844121

Mob. No. 9939241968


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA7747** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1865A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA7747	BR2023-SC-1865A	03/07/2028	16/02/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/02/2024	20/02/2024	07/01/2024	06/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1272/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MUKUND KUMAR U/L B S R T C**

S/O ANAND SINGH

Address- MAHAMADPUR DAMODAR MURAU MURAU MUZ MUZAFFARPUR  
BIHAR 843119

Mob. No. 9006581351


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA0401 के परमिट संख्या BR2022-SC-1313A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA0401	BR2022-SC-1313A	03/06/2027	25/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/05/2024	05/12/2024	20/05/2024	25/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1273/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SHATRUGHAN THAKUR**

RAM ASHISH THAKUR

Address- MADHAUL SUSTA MADHOPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 9835247340


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31PA8540** के परमिट संख्या **BR2021-SC-0442A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA8540	BR2021-SC-0442A	03/03/2026	29/08/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07/03/2024	03/09/2024	23/08/2024	24/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1274/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**DHIRAJ KUMAR**

DHRUVANATH PRASAD

Address- DR. AKHILESH VERMA GALI BANK ROAD, MOTIHARI PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 8210193516


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF1427 के परमिट संख्या BR2023-SC-0763A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF1427	BR2023-SC-0763A	03/03/2028	11/04/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	04/04/2024	07/10/2024	13/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1275/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RANI DEVI**

W/O RAM DINESH SINGH

Address- AT PO CHAHUTA PS AAURAI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 842001

Mob. No. 9525474566


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8741 के परमिट संख्या BR2023-SC-3158A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8741	BR2023-SC-3158A	03/11/2028	14/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/03/2024	02/12/2024	23/06/2024	02/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1276/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SATYENDRA KUMAR**

SATTAN RAY

Address- JALALPUR JALALPUR ANRUDH VAISHALI BIHAR 844121

Mob. No. 9771745019


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE4101** के परमिट संख्या **BR2023-SC-3165A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4101	BR2023-SC-3165A	03/11/2028	26/08/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/05/2024	09/09/2024	02/07/2024	21/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1277/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BANSHI MANOHAR**

RAGHWESH KUMAR

Address- BRAHAMPURA SANJAY CINEMA RD NEAR MANDAP VIVAH

BHAWAN MIT MUZAFFARPUR BIHAR 842003

Mob. No. 9334906632


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE7139 के परमिट संख्या BR2023-SC-3161A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7139	BR2023-SC-3161A	03/11/2028	31/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/04/2024	06/01/2025	14/12/2024	27/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1278/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SATYENDRA KUMAR**

SATTAN RAY

Address- JALALPUR URF BISHUNPUR GAMHIR HAJIPUR VAISHALI BIHAR  
844121

Mob. No. 9771745019


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE7431 के परमिट संख्या BR2023-SC-3164A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7431	BR2023-SC-3164A	03/11/2028	31/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/04/2024	31/12/2024	07/10/2024	23/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1279/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAM TAPASYA YADAV**

BHUTTI YADAV

Address- ADD TELUA PO TELUA NAUTAN PASHCHIM CHAMPARAN

BIHAR 845438

Mob. No. 8084075598


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF1859 के परमिट संख्या BR2023-SC-3159A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF1859	BR2023-SC-3159A	03/11/2028	30/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/04/2024	26/07/2024	23/10/2024	14/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1280 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**EKTA KUMARI**

DHIRENDRA KUMAR

Address- ADD-WARD NO 20 NEAR DR AKHILESH VERMA GALI

BHAWANIPUR ZIRAT MOTIHARI PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 7004703026


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF5542 के परमिट संख्या BR2023-SC-3160A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF5542	BR2023-SC-3160A	03/11/2028	07/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	06/02/2025	17/02/2025	08/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1281/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ABHISHEK KUMAR**

ARUN KUMAR SINGH

Address- AT-DINKAR NAGAR MAJHAULIA KHETAL PO-KHABRA PS-SADAR MUZAFFARPUR BIHAR 843146

Mob. No. 9334910038


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC6580** के परमिट संख्या **0435/2013** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC6580	0435/2013	03/10/2028	04/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/05/2024	08/05/2024	03/05/2024	22/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1282 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMANTH SAURABH**

KAILASH MISHRA

Address- BHERIYAH SOTI HARDASPUR MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. No. 8294619996


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PH6715** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1043A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH6715	BR2023-SC-1043A	04/04/2028	09/02/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	07/02/2025	13/07/2024	08/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1283 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**JULI BHARTI**

W/O VIKASH KUMAR

Address- AT LAKDI DHAI CHANDWARA PS TOWN THANA MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9113112305


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD0559 के परमिट संख्या BR2023-SC-3328A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD0559	BR2023-SC-3328A	04/12/2028	22/08/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/03/2024	09/07/2024	27/07/2024	10/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1284/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NAVNITA KUMARI**

PANKESH RANJAN

Address- RASULPUR JILANI CHHAKKR ROAD MUZAFFARPUR BIHAR  
842001

Mob. No. 9931083346


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE6660 के परमिट संख्या BR2023-SC-3320A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE6660	BR2023-SC-3320A	04/12/2028	05/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/02/2024	03/03/2024	10/01/2025	07/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1285/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BIBHA KUMARI**

RAMESH CHANDRA SHEKHAR

Address- LAKRIDHAI CHANDWARA MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7488785926


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF7509** के परमिट संख्या **BR2023-SC-3327A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PF7509	BR2023-SC-3327A	04/12/2028	13/07/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	13/07/2024	13/07/2024	14/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1286/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MADHUKANT**

S/O LT. RAJESHWAR PD. SINGH

Address- AT- CHANDPURA PO- CHANDPURA, PS- BIDUPUR VAISHALI  
VAISHALI BIHAR 844502

Mob. No. 9472435392


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31P6525** के परमिट संख्या **BR2022-SC-0020A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P6525	BR2022-SC-0020A	04/01/2027	26/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/05/2024	14/06/2024	25/06/2024	21/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1287/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NISHANT CHANDRA**

S/O- LATE DHARMENDRA PRASAD

Address- AT- KOLHACHAK DHANARUA SAIN PATNA BIHAR 804451

Mob. No. 7004799500


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PN0051** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1886A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PN0051	BR2023-SC-1886A	04/07/2028	05/04/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/12/2023	05/04/2024	16/04/2024	21/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापक:- 1288/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VISHWAJIT MISHRA**

S/O LT RANJEET MISHRA

Address- AT RASULPUR ZILANI NEAR CHAKKAR CHOWK MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9234485890


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB0234** के परमिट संख्या **0261/2013** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB0234	0261/2013	04/07/2028	25/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/03/2024	24/03/2024	27/02/2024	05/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1289/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMAR JYOTI CARRIERS PVT LTD**

NA

Address- PANDEY PLAZA EXHIBITION ROD PATNA PATNA BIHAR 800001

Mob. No. 9334902252


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD7351** के परमिट संख्या **BR/106/SC/307/2013** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7351	BR/106/SC/307/2013	04/07/2028	27/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/05/2024	23/03/2024	13/08/2024	18/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1290 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMUKH SAURABH**

KAILASH MISHRA

Address- BHERIYAH I SOTI HARIDASPUR PS KANTI MUZAFFARPUR BIHAR  
843109

Mob. No. 7870969696


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8196 के परमिट संख्या BR2023-SC-1903A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8196	BR2023-SC-1903A	04/07/2028	01/09/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/03/2024	24/10/2024	30/01/2025	22/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1291/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

NA

Address- PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND PATEL PATH PATNA

BIHAR 800001

Mob. No. 9111111111


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PL7545** के परमिट संख्या **BR2021-SC-0479A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL7545	BR2021-SC-0479A	04/03/2026	24/01/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/04/2024	08/01/2022	26/06/2024	09/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1292 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAMESH KUMAR**

VISHWANATH PRASAD THAKUR

Address- KISHU NAGAR PS KANTI MUSAHRI MUZAFFARPUR BIHAR  
843109

Mob. No. 9931694653


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE5002 के परमिट संख्या BR2021-SC-0480A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5002	BR2021-SC-0480A	04/03/2026	18/01/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/04/2024	01/11/2024	16/04/2024	14/01/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1293 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAMESH KUMAR**

VISHWANATH PRASAD THAKUR

Address- KISHU NAGAR PS KANTI MUSAHRI MUZAFFARPUR BIHAR  
843109

Mob. No. 9931694653


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE5003 के परमिट संख्या BR2021-SC-0481A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5003	BR2021-SC-0481A	04/03/2026	18/01/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/04/2024	10/03/2024	16/04/2024	14/01/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1294/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRABHA MISHRA**

W/O LT RANJEET KR MISHRA

Address- RASULPUR, JILANI KAZIMOHMADPUR MUZ MUZAFFARPUR  
BIHAR 842001

Mob. No. 9234485890


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06P9900** के परमिट संख्या **0468/2009** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P9900	0468/2009	04/10/2024	12/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/02/2024	26/07/2024	28/02/2024	26/11/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापक:- 1295/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SHUBHASISH**

S/O BIRENDRA KR SINGH

Address- NAYA TOLA KAZIMDPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR  
842001

Mob. No. 9905989860


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC3872** के परमिट संख्या **251/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC3872	251/2019	04/09/2024	28/09/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/01/2022	01/09/2023	16/05/2024	17/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1296/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

NA

Address- PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND PATEL PATH PATNA

BIHAR 800001

Mob. No. 9111111111


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PL7541** के परमिट संख्या **BR2021-SC-0506A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL7541	BR2021-SC-0506A	05/03/2026	24/01/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/04/2024	15/01/2022	24/08/2023	07/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1297/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMRESH KUMAR**

S/O- RAGHAW PD SINGH

Address- AT+PO- CHANDPURA VIA-BIDDUPUR R.S VAISHALI VAISHALI  
BIHAR 844502

Mob. No. 8298400120


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31P7518** के परमिट संख्या **BR2021-SC-0523A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P7518	BR2021-SC-0523A	05/03/2026	19/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	15/01/2024	30/07/2024	13/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1298/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**KUMUD SINGH**

VIJAY KUMAR SINGH

Address- MUKUT NIWAS KANKARBAGH PATNA PATNA BIHAR 800001

Mob. No. 9334018522


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PJ9522** के परमिट संख्या **0314/2014** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PJ9522	0314/2014	05/11/2024	27/01/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/03/2024	10/07/2024	20/12/2024	11/01/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1299/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**DEVENDRA KUMAR SINGH**

MUKUTDHARI SINGH

Address- CHANDMARI ROAD KANKARBAGH PATNA BIHAR 800020

Mob. No. 9430963832


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PK9922** के परमिट संख्या **0313/2014** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PK9922	0313/2014	05/11/2024	08/11/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/03/2024	05/07/2024	22/02/2025	16/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1300/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SOUNDARYA KUMAR**

S/O RAVINDRA NATH CHOUBEY

Address- GOVINDGANJ NAWADA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845411

Mob. No. 9673915116


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PB0795** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2880A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB0795	BR2023-SC-2880A	05/10/2028	06/06/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/03/2024	05/07/2024	17/04/2024	04/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1301/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SOUNDARYA KUMAR**

S/O RAVINDRA NATH CHOUBEY

Address- GOVINDGANJ NAWADA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845411

Mob. No. 9673915116


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PB0797** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2879A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB0797	BR2023-SC-2879A	05/10/2028	06/06/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/03/2024	22/09/2024	30/05/2024	04/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1302 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ KUMAR YADAV**

CHANDESHWAR RAY

Address- B .B GANJ BHAGWANPUR MUSAHRI MUZAFFARPUR BIHAR  
842001

Mob. No. 9431266337


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE2851 के परमिट संख्या BR2023-SC-2886A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE2851	BR2023-SC-2886A	05/10/2028	23/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/03/2024	02/03/2024	30/11/2024	16/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1303 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PANKESH RANJAN**

PRADYUMAN KUMAR MISHRA

Address- AT- RASALPUR ZILANI CHAKKAR ROAD JAGDISH KUTIR RAMNA  
MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 9939197500


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF7386 के परमिट संख्या BR2023-SC-2890A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF7386	BR2023-SC-2890A	05/10/2028	11/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/04/2024	18/05/2024	13/07/2024	09/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1304/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**DHARAMJEET KUMAR MISHRA**

RAMANAND MISHRA

Address- RASULPUR JILANI CHAKKAR ROAD MUZAFFARPUR BIHAR  
842001

Mob. No. 9801766166


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE2979** के परमिट संख्या **282/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE2979	282/2019	05/09/2024	04/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/02/2024	13/02/2025	12/08/2024	16/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1305/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ANU SHUKLA**

W/O VIJAY KUMAR SHUKLA

Address- NAYA TOLA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9470000786


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE8651** के परमिट संख्या **299/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8651	299/2019	05/09/2024	29/12/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	21/12/2024	14/12/2024	28/12/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1306/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**CHANDAN KUMAR**

S/O NAWAL KISHORE RAY

Address- AT PO RAMPURHARI PS MINAPUR MUZAFFARPUR BIHAR 843117

Mob. No. 9504954461


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE9761** के परमिट संख्या **271/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE9761	271/2019	05/09/2024	17/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	15/06/2024	18/06/2024	19/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1307/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KUMAR SHUKLA**

RAMDAS SHUKLA

Address- KHANJANCHAK PS LALGANJ VAISHALI BIHAR 844114

Mob. No. 7633040770


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR25PA9651** के परमिट संख्या **296/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR25PA9651	296/2019	05/09/2024	27/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/05/2024	30/06/2024	11/10/2024	25/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1308/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NAGESHWAR RAY**

S/O JAGDIP RAY

Address- WARD NO 10 RUNNISAIDPUR SITAMARHI BIHAR 843328

Mob. No. 9934670554


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR30PA7961** के परमिट संख्या **272/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA7961	272/2019	05/09/2024	12/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/03/2024	16/06/2024	06/06/2024	06/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1309/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**UDAY SHANKER PD SINGH**

S/O LT DHARMADEV PD SINGH

Address- AT- MAJHAULI .PS- SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 9471665407


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PA5835** के परमिट संख्या **BR/106/SC/561/2011** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA5835	BR/106/SC/561/2011	05/09/2026	19/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/03/2024	16/02/2025	05/10/2024	12/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1310/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**UDAY SHANKER PD SINGH**

S/O LT DHARMADEV PD SINGH

Address- AT- MAJHAULI .PS- SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 9471665407


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PA5835** के परमिट संख्या **BR/106/SC/561/2011** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA5835	BR/106/SC/561/2011	05/09/2026	19/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/03/2024	16/02/2025	05/10/2024	12/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1311/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BUDICO**

NA

Address- AT BIRCHAND PATEL PATH PARIWAHAN BHAWAN PATNA  
PATNA BIHAR 800001

Mob. No. 7322936339


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PH4325** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2530A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH4325	BR2023-SC-2530A	05/09/2028	26/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	13/03/2024	05/07/2024	02/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1312/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BUIDCO**

NA

Address- BIRCHAND PATEL PATH PARIWAHAN BHAWAN PATNA PATNA  
BIHAR 800001

Mob. No. 7322936339


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PH4326** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2531A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH4326	BR2023-SC-2531A	05/09/2028	26/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	13/03/2024	05/07/2024	02/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1313/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SOUNDARYA KUMAR**

RAVINDRA NATH CHOUBEY

Address- GOVINDGANJ NAWADA ARERAJ PURBA CHAMPARAN BIHAR  
845411

Mob. No. 9673915116


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB0426 के परमिट संख्या BR2023-SC-2524A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB0426	BR2023-SC-2524A	05/09/2028	20/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/05/2024	28/01/2025	07/02/2025	16/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापक:- 1314/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SATISH KUMAR U/L BSRTC**

RAMBABU PRASAD SINGH

Address- AT-P AND T ROAD NEAR CHANDRASHEKHAR BHAWAN

MITHANPURA PO-RAMNA PS-MITHANPURA MUZAFFARPUR BIHAR

842002

Mob. No. 9931474351


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC4981** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2516A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC4981	BR2023-SC-2516A	05/09/2028	17/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/02/2025	18/01/2025	13/11/2024	07/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1315/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SANGITA KUMARI**

W/O DEVENDRA KUMAR

Address- AKHILESH VERMA GALI BANK ROAD MOTIHARI BHAURANIPUR  
ZIRAT PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 8084075598


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9828 के परमिट संख्या BR2023-SC-2515A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9828	BR2023-SC-2515A	05/09/2028	06/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/03/2024	11/10/2024	15/10/2024	02/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1316/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SANGITA KUMARI**

DEVENDRA KUMAR

Address- AKHILESH VERMA GALI BANK ROAD MOTIHARI BHAWANIPUR  
ZIRAT PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 8084075598


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF0314 के परमिट संख्या BR2023-SC-2521A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF0314	BR2023-SC-2521A	05/09/2028	01/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	28/11/2024	17/01/2025	02/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1317/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUNEETA SINHA**

ANIL SINGH

Address- KANTA SUSTA TOK KANTA PIRAUCHHA MUZAFFARPUR BIHAR  
843118

Mob. No. 9931050016


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF1118 के परमिट संख्या BR2023-SC-2519A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF1118	BR2023-SC-2519A	05/09/2028	16/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/05/2024	01/03/2024	03/07/2024	10/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1318/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SAHDEO RAI**

SHITAL RAI

Address- DIGHI KHURD PO DIGHI KALA HAJIPUR VAISHALI BIHAR 844101

Mob. No. 8877652065


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31PA9288** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2526A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA9288	BR2023-SC-2526A	05/09/2028	13/12/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/02/2024	27/10/2024	12/04/2024	26/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1319/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUJEET KUMAR**

LAXMAN RAY

Address- GURDAH SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843117

Mob. No. 9973933088


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA2261** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/4** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA2261	BR/106/SC/B US/2019/4	06/12/2024	22/08/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/05/2024	25/08/2024	24/10/2024	31/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1320/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ALOK KUMAR PANDEY**

S/O - SRI RAM EKBAL PANDEY

Address- AT- PAKDI PO- PURVI PAKDI PS- DUMARIYA GHAT MOTIHARI  
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845423

Mob. No. 7301285252


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA0908 के परमिट संख्या BR2023-SC-1914A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA0908	BR2023-SC-1914A	06/07/2028	09/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/04/2024	24/04/2024	14/08/2024	03/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1321/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ALOK KUMAR PANDEY**

S/O-RAMEKBAL PANDEY

Address- VILL-PAKDI DUMARIYA EAST CHAMPARAN PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845423

Mob. No. 7301285252


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB3495 के परमिट संख्या BR2023-SC-1913A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB3495	BR2023-SC-1913A	06/07/2028	27/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/05/2024	08/06/2024	20/02/2025	08/01/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1322/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAM REKHA RAY**

S/O RAJNANDAN RAI

Address- AT-RAMPUR RAMNI PO-CHHITRAULI MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8002054030


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD1101** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1920A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD1101	BR2023-SC-1920A	06/07/2028	19/10/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/02/2024	03/09/2024	17/11/2024	08/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1323 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAMREKHA RAY**

S/O RAJNANDAN RAY

Address- AT H NO 119 RAMPUR RAMNI PO CHHITRAULI MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8002054030


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD2100 के परमिट संख्या BR2023-SC-1919A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD2100	BR2023-SC-1919A	06/07/2028	11/04/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/05/2024	04/11/2024	10/11/2023	09/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1324/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## GUPTA TRANSPORT

M/S PAT BALENDRA RAI

Address- M/S PROP AMAR PANDEY AT EXHIBITION ROAD PATNA PATNA  
BIHAR 999999

Mob. No. 9334902252


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC2251** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1633A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC2251	BR2023-SC-1633A	06/06/2028	01/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/03/2024	02/02/2025	14/08/2024	30/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1325/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ANITA KUMARI**

SUNILKUMAR

Address- WARD NO 09 MOHANPUR SAMASTIPUR BIHAR 848125

Mob. No. 9507263751


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE3048** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1630A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE3048	BR2023-SC-1630A	06/06/2028	20/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/02/2024	12/05/2024	01/09/2023	07/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1326/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAVINDRA NATH CHAUBEY**

S/O -SRI BISHUNU CHAUBEY

Address- AT-MANANPUR PS- GOVINDGANJ MOTIHARI PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845425

Mob. No. 9673915116


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA3432 के परमिट संख्या BR2022-SC-1100A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA3432	BR2022-SC-1100A	06/05/2027	18/09/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/03/2024	13/09/2024	20/11/2024	12/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1327/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMBIKA TRAVELS**

PR.CHANDRABHANU SING

Address- AKHARAGHAT SEKHPUR AHYAPUR MUZ MUZAFFARPUR BIHAR  
842001

Mob. No. 7091011236


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA0236 के परमिट संख्या 0475/2013 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA0236	0475/2013	06/10/2028	05/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	06/09/2024	03/04/2024	28/10/2023

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1328/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**UDAY SHANKAR PD SINGH**

S/O DHARMDEO SINGH

Address- AT HNO 83 VILL MAJHOLI DHARMDAS PO SHERPUR  
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9470264643


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PB8943** के परमिट संख्या **0370/2013** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB8943	0370/2013	06/09/2028	25/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/04/2024	01/12/2024	05/10/2024	23/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1329/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**DULARI DEVI**

W/O - RAM NARESH SINGH

Address- SUSHILA SADAN PRABHAT ZARDA FACTORY ROAD EAST  
CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 842001

Mob. No. 7541829069


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PB1653** के परमिट संख्या **050/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB1653	050/2019	07/04/2024	01/08/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/03/2024	19/12/2024	17/04/2024	17/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1330 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SHUSHIL KUMAR SINGH**

S/O LATE KALIKA PRASAD SINGH

Address- AT MITHANPURA NAYA TOLA NEAR CHURCH PO RAMNA  
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9771764301


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD5349** के परमिट संख्या **055/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD5349	055/2019	07/04/2024	06/12/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/03/2024	12/12/2024	11/09/2024	10/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापक:- 1331/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**M/S ALOK TRAVELS**

I/C ALOK KUMAR SINGH

Address- NH 77 KOLHUA DADAR NEW ZERO MILE AHIYAPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 9431238216


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD8916** के परमिट संख्या **021/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8916	021/2019	07/04/2024	25/06/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/12/2023	30/11/2024	30/03/2023	08/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1332 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**M/S ALOK TRAVELS**

I/C ALOK KUMAR SINGH

Address- NH 77 KOLHUA DADAR NEW ZERO MILE AHIYAPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9431238216


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9016 के परमिट संख्या 020/2019 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9016	020/2019	07/04/2024	04/06/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/01/2024	30/11/2024	12/09/2024	08/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1333 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRABHA MISHRA**

W/O LT RANJIT KR MISHRA

Address- AT RASULPUR JILANI CHAKAR ROAD MUSHARI MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9234485890


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC0039** के परमिट संख्या **0170/2001** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC0039	0170/2001	07/02/2026	25/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/03/2024	24/03/2024	01/08/2024	27/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1334/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SATYENDRA KUMAR**

SATTAN RAY

Address- JALALPUR URF BISHUNPUR GAMHIR HAJIPUR VAISHALI BIHAR  
844121

Mob. No. 9771745019


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE7430 के परमिट संख्या BR2024-SC-0349A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7430	BR2024-SC-0349A	07/02/2029	31/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/04/2024	31/12/2024	07/10/2024	23/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1335/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BRAJBHUSHAN MISHRA**

S/O LT GIRJA MISHRA

Address- AT TOWN VILL BHERIYAH I SOTI PS KANTI MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. No. 9955029674


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB7231** के परमिट संख्या **0312A/2013** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB7231	0312A/2013	07/07/2028	13/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/04/2024	11/09/2024	12/06/2024	06/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1336/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KR THAKUR**

S/O LT RAM SAROVAR THAKUR

Address- AT- IMLICHATTI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 842001

Mob. No. 8409940551


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PA3052** के परमिट संख्या **0497/2010** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA3052	0497/2010	07/06/2025	17/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/05/2024	14/12/2024	22/07/2024	11/12/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1337/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMAR JYOTI CARIERS PVT LTD**

NA

Address- UMA MARKET MOTIJHEEL MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 842002

Mob. No. 9334902252


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF4451 के परमिट संख्या BR2023-SC-1649A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF4451	BR2023-SC-1649A	07/06/2028	05/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/05/2024	21/04/2024	29/04/2024	30/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1338/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMAR JYOTI CARIERS PVT LTD**

NA

Address- UMA MARKET MOTIJHIL MOTIJHIL MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9334902252


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF5251** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1651A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PF5251	BR2023-SC-1651A	07/06/2028	24/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/05/2024	16/02/2025	20/09/2024	08/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1339/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMAR JYOTI TRAVELS**

RAGHAV PANDEY

Address- WARD NO 25 AYODHYAPRASAD GALI MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9334902252


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF6851 के परमिट संख्या BR2023-SC-1653A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF6851	BR2023-SC-1653A	07/06/2028	04/04/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2024	14/03/2024	10/04/2024	02/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1340 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMAR JYOTI TRAVELS**

NA

Address- UMA MARKET MOTIJHEEL MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 842002

Mob. No. 9334907061


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF4251** के परमिट संख्या **0484/2013** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF4251	0484/2013	07/10/2028	05/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/05/2024	03/05/2024	29/04/2024	25/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1341/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMARJYOTI TRAVELS**

I/C BALINDRA RAY

Address- AT RUSULPUR JILANI PS KAZIMDPUR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9334902252


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PA7165** के परमिट संख्या **350/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA7165	350/2019	07/09/2024	19/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/04/2024	07/12/2024	20/06/2024	26/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1342/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MAN MARDAN SHUKLA**

S/O LT RAMDAS SHUKLA

Address- SPEAKER LANE NAYA TOLA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9431013056


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC7951** के परमिट संख्या **309/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC7951	309/2019	07/09/2024	30/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/04/2024	24/11/2024	16/11/2024	29/11/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1343/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANMARDHAN SHUKLA**

RAMDAS SHUKLA

Address- SPEAKER ROAD NAYA TOLA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 842001

Mob. No. 9431013056


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE3951** के परमिट संख्या **311/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE3951	311/2019	07/09/2024	04/08/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	02/08/2024	04/08/2024	04/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1344/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ KUMAR**

JAGARNATH DUBEY

Address- SHREE RAMPURI, BHAGWANPUR, P.S. SARDAR, DISTT.-  
MUZAFFARPUR, BIHAR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7488287099


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE4351** के परमिट संख्या **313/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4351	313/2019	07/09/2024	01/05/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/05/2024	28/04/2024	27/09/2024	16/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1345/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**DUSHYANT KUMAR SINGH**

S/O DILIP KUMAR SINGH

Address- WARD NO 12 VILL KHAIRWA PO MANIYARI PS SITAMARHI  
SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. No. 9431263302


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR55P8751** के परमिट संख्या **284/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR55P8751	284/2019	07/09/2024	18/10/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/03/2024	01/09/2023	24/01/2024	18/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1346/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MADHUKAR KUMAR**

S/O BAIDHNATH PD SINHA

Address- AT MADHAUL KUDHANI SUSTA MADHOPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 842002

Mob. No. 9135310001


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD8002** के परमिट संख्या **BR/106/SC/389/2012** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8002	BR/106/SC/389/2012	07/09/2027	13/02/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12/05/2024	11/02/2025	04/03/2024	04/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1347/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MADAN MOHAN SHARMA**

BHUNESVAR SHARMA

Address- 116 T/V RUNNISAIDPUR DUMRA SITAMARHI BIHAR 843301

Mob. No. 9934670554


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR30PA2561** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2551A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA2561	BR2023-SC-2551A	07/09/2028	10/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/03/2024	26/02/2025	18/06/2024	04/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1348/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KR JHA**

S/O LT CHANDRIKA JHA

Address- AT PO MADHURAPUR PS BIDUPUR VAISHALI VAISHALI BIHAR  
999999

Mob. No. 9973666239


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC7707 के परमिट संख्या BR2023-SC-2243A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC7707	BR2023-SC-2243A	08/08/2028	03/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/05/2024	12/05/2024	19/02/2025	17/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1349/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAKESH KUMAR MISHRA**

S/O LT INDRADEO MISHRA

Address- AT BALHA PO THARMA PS GAYGHAT MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9835208980


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB2676** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/8** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB2676	BR/106/SC/B US/2019/8	08/12/2024	23/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/02/2024	17/11/2023	13/09/2024	25/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1350/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ARUN KUMAR MISHRA**

S/O LT INDRADEO MISHRA

Address- PRABHAT NAGAR BHAGWANPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8100000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB8784** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/7** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB8784	BR/106/SC/BUS/2019/7	08/12/2024	09/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	25/12/2024	06/06/2024	04/01/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1351/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RITU SHARMA**

W/O RANVEER KUMAR

Address- AT MADHAUL PO SUSTA MADHOPUR PS KURHANI  
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 9525064000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC1240** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/19** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC1240	BR/106/SC/B US/2019/19	08/12/2024	19/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/05/2024	15/02/2025	01/08/2024	18/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1352/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BARUN PRAKASH PANDEY**

S/O - AJAY KUMAR PANDEY

Address- AT- SHYAMPUR SHYAMPUR EAST CHAMPARAN BIHAR 0

Mob. No. 7903624731


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD6525** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/30** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD6525	BR/106/SC/B US/2019/30	08/12/2024	23/01/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/04/2024	02/02/2025	04/01/2026	23/04/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1353/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**GEETA DEVI**

SHATRUGHAN THAKUR

Address- MADHAUL PO SUSTA MADHOPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9835247340


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE3140** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/15** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE3140	BR/106/SC/B US/2019/15	08/12/2024	10/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	14/06/2024	06/03/2024	13/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1354/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMUKHH SAURABH**

S/O KAILASH MISHRA

Address- BHERIYAH I SOTI KANTI MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. No. 9935456456


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE3996** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/29** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE3996	BR/106/SC/B US/2019/29	08/12/2024	22/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/02/2024	18/03/2024	20/03/2024	02/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1355/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AKASH SINGH**

ACHAL SINGH

Address- ADD SHEKHPUR AKHARAGHAT MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 9931742641


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE5940** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/17** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5940	BR/106/SC/B US/2019/17	08/12/2024	24/11/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/02/2024	20/11/2024	04/09/2024	04/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1356/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AWADHESH KUMAR**

NAND KISHOR SINGH

Address- KRISHNAPURI ASHIRVAD BHAWAN BHAGWANPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9939688302


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE7396** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/31** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7396	BR/106/SC/BUS/2019/31	08/12/2024	04/08/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	07/09/2024	26/01/2025	09/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1357/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMUKH SAURABH**

KAILASH MISHRA

Address- BHERIYAH I SOTI HARIDASPUR PS KANTI MUZAFFARPUR BIHAR  
843109

Mob. No. 7870969696


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE7596** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/28** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE7596	BR/106/SC/B US/2019/28	08/12/2024	01/09/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/03/2024	10/02/2025	18/02/2025	24/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1358/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RANBIR KUMAR**

SHATRUGHAN THAKUR

Address- MADHAUL SUSTA MADHOPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 9835247340


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA7041** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/16** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA7041	BR/106/SC/B US/2019/16	08/12/2024	13/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12/05/2024	12/11/2024	03/10/2024	21/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1359/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**UMESH KUMAR**

KAMALA SINGH

Address- HARPURLAHAURI KOLHUA PAIGAMBERPUR POLICE LINE

DADAR MUZAFFARPUR BIHAR 843108

Mob. No. 9931702796


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8365 के परमिट संख्या BR2023-SC-0085A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8365	BR2023-SC-0085A	08/01/2028	13/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/03/2024	11/03/2024	17/03/2024	06/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1360 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SHATRUGHAN THAKUR**

S/O RAM ASHISH THAKUR

Address- VILL MADHAUL MADHOPUR SUSTA MADHAUL KURHANI  
MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 9835247340


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR31PA7940 के परमिट संख्या BR2024-SC-0058A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA7940	BR2024-SC-0058A	08/01/2029	28/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/03/2024	09/02/2024	29/01/2025	06/12/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1361/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRAMOD KUMAR**

S/O SATYA NR THAKUR

Address- NAYA TOLA SPEAKAER CHOWK PS KAZIMOHHAMADPUR  
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 7488287099


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC1251** के परमिट संख्या **000120/2014** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC1251	000120/2014	08/07/2024	14/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/04/2024	25/01/2025	25/08/2024	12/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1362 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRABHA MISHRA**

W/O LT RANJEET KUMAR MISHRA

Address- AT RASULPUR JILANI CHAKKAR ROAD MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 9234485890


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PB0039** के परमिट संख्या **BR/106/SC/254/1997** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB0039	BR/106/SC/254/1997	08/07/2027	27/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/03/2024	28/04/2024	01/12/2024	25/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1363 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ANKIT RAJ**

LATE RAMESH KUMAR

Address- HARIDASPUR HARIDASPUR KANTI MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. No. 8294619996


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31PA8696** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0406A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA8696	BR2020-SC-0406A	08/06/2025	27/02/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/04/2024	01/02/2025	26/01/2025	19/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1364/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ARBIND KR JAISWAL**

S/O RAJENDRA PRASAD JAISWAL

Address- YARPUR KHAGAUL RD, PS- GARDANIBAGH PATNA PATNA  
BIHAR 999999

Mob. No. 9264409501


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PC1457 के परमिट संख्या BR2023-SC-1662A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PC1457	BR2023-SC-1662A	08/06/2028	16/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/05/2024	22/03/2024	18/02/2025	23/01/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1365 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAMNARESH PANDEY**

S/O RAM BAHADUR PANDEY

Address- KOIRGAWAN MEHSI PURBA CHAMPARAN BIHAR 845426

Mob. No. 9304693496


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD8803** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1663A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8803	BR2023-SC-1663A	08/06/2028	19/02/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/04/2024	16/08/2024	04/01/2025	05/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1366/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRAMOD KUMAR SINGH**

S/O BHARAT BHUSHAN SINGH

Address- JHAKHARA PIPRA KOTHI PURBA CHAMPARAN BIHAR 845429

Mob. No. 9431288788


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE2809** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1678A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE2809	BR2023-SC-1678A	08/06/2028	09/06/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07/04/2024	21/06/2024	07/06/2024	07/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1367/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MINI DEVI**

RAMESH KUMAR

Address- GRAM HARIDASPUR PO-HARIDASPUR PS-KANTI MUZAFFARPUR  
BIHAR 843109

Mob. No. 9470701096


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF6196** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1683A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF6196	BR2023-SC-1683A	08/06/2028	28/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	01/03/2024	29/02/2024	03/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापक:- 1368/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## SHEET BASANT TRANCORP PVT LTD

NA

Address- C/O SUMANTH SAURABH, SHEET BASANT FUEL SERVICE, 28,  
KANTI KASBA INFRONT OF THERMAL POWER PLANT MUZAFFARPUR  
BIHAR 843109

Mob. No. 6206193096


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF6296** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1682A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF6296	BR2023-SC-1682A	08/06/2028	26/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2024	23/03/2024	26/03/2024	27/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापक:- 1369/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## SHEET BASANT TRANCORP PVT LTD

NA

Address- C/O SUMANTH SAURABH, SHEET BASANT FUEL SERVICE, NH 28, KANTI KASBA, INFRONT OF THERMAL POWER PLANT MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. No. 6206193096


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF6496** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1681A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF6496	BR2023-SC-1681A	08/06/2028	26/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2024	20/03/2024	26/03/2024	27/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापक:- 1370/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## SHEET BASANT TRANCORP PVT LTD

NA

Address- C/O SUMANTH SAURABH, SHEET BASANT FUEL SERVICE, NH 28,  
KANTI KASBA, KANTI, INFRONT OF THERMAL POWER PLA  
MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. No. 6206193096


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF6596** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1679A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF6596	BR2023-SC-1679A	08/06/2028	26/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2024	22/03/2024	26/03/2024	27/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1371/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAJESH KUMAR**

S/O RAGHUNATH SHARMA

Address- MURADPUR DUMRA SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. No. 9709543297


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR30P6351** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1684A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30P6351	BR2023-SC-1684A	08/06/2028	03/07/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/04/2024	20/09/2024	22/11/2024	17/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1372/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## SHEET BASANT TRANCORP PVT LTD

S/O SUMANTH SAURABH

Address- SHEET BASANT FUEL SER NH28 KANTI KASBA INFRONT OF MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9939446456


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE2296** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0271A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE2296	BR2020-SC-0271A	08/03/2025	18/05/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	19/08/2024	19/10/2024	14/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1373 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMAN DEVI**

W/O KAILASH MISHRA

Address- BHERIYAH I SOTI HARIDASPUR KANTI MUZAFFARPUR BIHAR  
843109

Mob. No. 9934545645


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE9896 के परमिट संख्या BR2020-SC-0272A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE9896	BR2020-SC-0272A	08/03/2025	23/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/02/2024	31/01/2025	21/02/2024	23/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1374/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMUKH SAURABH**

KAILASH MISHRA

Address- BEHRIYAH SOTI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. No. 7870969696


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF5696** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0282A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF5696	BR2020-SC-0282A	08/03/2025	12/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/02/2024	02/02/2025	15/02/2025	08/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1375/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRASUN KUMAR**

MITHILENDRA RAY

Address- MADHAV NAGAR MORSAND SITAMARHI BIHAR 843328

Mob. No. 9431285779


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA0783** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0258A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA0783	BR2020-SC-0258A	08/03/2025	10/06/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/05/2024	12/04/2024	09/02/2025	06/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1376/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PIYUSH**

MITHILENDRA KUMAR RAY

Address- MADHAW NAGAR MURSAND SITAMARHI BIHAR 843328

Mob. No. 9431285779


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR30PA2427** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0255A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA2427	BR2020-SC-0255A	08/03/2025	16/11/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/04/2024	03/05/2024	09/03/2024	29/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1377/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ANKIT RAJ**

LATE RAMESH KUMAR

Address- HARIDASPUR HARIDASPUR KANTI MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. No. 8294619996


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31PA8996** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0275A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA8996	BR2020-SC-0275A	08/03/2025	27/02/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/04/2024	01/02/2025	26/01/2025	19/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1378/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAVINDRA NTH CHAUBEY**

S/O - SRI BISHNU CHAUBEY

Address- AT- MANANPUR GOVINGANJ PS-GOVINDGANJ MOTIHARI PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845421

Mob. No. 9887898778


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA3430 के परमिट संख्या BR2021-SC-0539A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA3430	BR2021-SC-0539A	08/03/2026	18/09/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/03/2024	13/09/2024	11/01/2025	12/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1379/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SHASHI RANJAN KUMAR**

YOGESHWAR PRASAD

Address- AT- KOLAHACHAK BANGALITOLA PUNPUN HAZRATSAIN

PATNA BIHAR 800001

Mob. No. 9334535505


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PK9351 के परमिट संख्या BR2023-SC-2926A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PK9351	BR2023-SC-2926A	08/10/2028	25/01/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/04/2024	05/01/2025	25/08/2024	26/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1380 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NAVNITA KUMARI**

PANKESH RANJAN

Address- WARD NO 10 JAGDISH KUTIR RASALPUR ZILANI MUSAHRI  
MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 9931083346


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE6768 के परमिट संख्या BR2023-SC-2907A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE6768	BR2023-SC-2907A	08/10/2028	30/12/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	28/01/2025	05/02/2025	03/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1381/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SATENDER KUMAR**

SATTAN RAY

Address- ADD-JALALPUR URF BISHUNPUR GAMHIR VAISHALI BIHAR  
844121

Mob. No. 7765940592


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF5806** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2902A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF5806	BR2023-SC-2902A	08/10/2028	05/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	03/03/2024	05/03/2024	03/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1382 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NAVNITA KUMARI**

W/O PANKESH RANJAN

Address- AT- JAGDISH KUTI WARD NO-10 RASALPUR ZILANI MUSAHRI  
MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 9939197500


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF7387 के परमिट संख्या BR2023-SC-2903A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF7387	BR2023-SC-2903A	08/10/2028	11/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/04/2024	18/05/2024	13/07/2024	09/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1383 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAVINDRA NATH CHAUBEY**

S/O -BISHNU CHAUBEY

Address- AT-ARERAJ GOVINDGANJ MOTIHARI MOTIHARI PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 9673915116


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA1604 के परमिट संख्या BR2022-SC-1979A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA1604	BR2022-SC-1979A	08/09/2027	04/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2024	19/12/2024	20/11/2024	05/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1384 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUNIL KUMAR CHAUBEY**

VISHNU CHAUBEY

Address- WARD 03, NEAR POKHARA GOBIND GANJ MANAPUR ARERAJ  
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845411

Mob. No. 9673915116


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB6485 के परमिट संख्या BR2023-SC-2567A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB6485	BR2023-SC-2567A	08/09/2028	30/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/03/2024	10/07/2024	30/06/2024	02/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1385/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SANJEEV KUMAR**

S/O LT JOGINDAR SINGH

Address- AT VILL SAHBAJPUR PO BHIKHANPUR PS AHYAPUR  
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8294619996


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PB9601 के परमिट संख्या BR2023-SC-2566A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB9601	BR2023-SC-2566A	08/09/2028	28/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/04/2024	23/09/2023	22/09/2024	27/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1386/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ SINGH**

LATE KRISHNA SINGH

Address- SAHWAJPUR BHIKHANPUR SHAHBAJPUR URF SALEMPUR KANTI  
MUZAFFARPUR BIHAR 843113

Mob. No. 8862902732


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE2616 के परमिट संख्या BR2023-SC-2568A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE2616	BR2023-SC-2568A	08/09/2028	25/04/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/04/2024	20/04/2024	02/01/2025	16/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1387/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIKRAM KUMAR**

JAYLAL PRASAD

Address- GRAM+PO KASHIPUR RAJEPUR WARD NO 13 PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845406

Mob. No. 9939770407


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF1082** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2560A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF1082	BR2023-SC-2560A	08/09/2028	09/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/02/2024	25/02/2024	24/02/2024	01/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1388/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ KUMAR YADAV**

LATE CHANDESHWAR RAY

Address- BIBIGANJ BAGHWANPUR PS SADAR MUSAHRI MUZAFFARPUR  
BIHAR 842001

Mob. No. 9431266337


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE6521 के परमिट संख्या BR2021-SC-0814A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE6521	BR2021-SC-0814A	09/04/2026	01/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/02/2024	19/09/2024	24/06/2024	31/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1389/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KUMAR**

S/O LT KISHORI LAL

Address- AT+PO+PS-RAMGARHWA MOTIHARI E CHAMPARAN BIHAR  
999999

Mob. No. 9525474566


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PA4056** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1075A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA4056	BR2023-SC-1075A	09/04/2028	11/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/04/2024	08/02/2025	14/12/2024	09/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1390 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MINI DEVI**

LATE RAMESH KUMAR

Address- HARIDASPUR KANTI MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. No. 8294619996


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD1696** के परमिट संख्या **0647/2010** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD1696	0647/2010	09/08/2025	12/02/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/03/2024	11/02/2025	15/06/2024	10/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1391/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MUKESH SHARMA**

LATE R B RAY

Address- KHABRA KHABRA SADAR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9955410359


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE5468** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/35** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5468	BR/106/SC/B US/2019/35	09/12/2024	15/10/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/04/2024	04/02/2025	05/02/2025	11/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1392/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ANJANEY GAUTAM**

S/O RAM KUMAR SINGH

Address- AT- KALAB ROAD ANCHAL- MUSHARI DIST VAISHALI BIHAR  
844101

Mob. No. 7903187919


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR31PA3440 के परमिट संख्या BR2024-SC-0365A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA3440	BR2024-SC-0365A	09/02/2029	05/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/05/2024	05/05/2024	10/11/2024	01/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1393 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ KR SINGH**

S/O NITESHWAR PRASAD SINGH

Address- AT KUMARPATTI ANCHAL SINHAVADA DARBHANGA  
DARBHANGA BIHAR 999999

Mob. No. 7063767427


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC6967 के परमिट संख्या BR2023-SC-0146A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC6967	BR2023-SC-0146A	09/01/2028	04/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/03/2024	14/01/2024	19/10/2024	24/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1394 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MRITUNJAY KUMAR**

S/O KAMESHWAR SINGH

Address- AT - PO BARROULIA PS SARAIYA MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 800034

Mob. No. 9525474566


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD5692 के परमिट संख्या BR2023-SC-0124A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD5692	BR2023-SC-0124A	09/01/2028	12/01/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/05/2024	04/01/2025	14/11/2024	10/01/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1395/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BHOLA KUMAR**

ANAND PRAKASH

Address- NARKATIYAGANJ PURANI BAZAR PASHCHIM CHAMPARAN  
BIHAR 845455

Mob. No. 7004703026


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE4392 के परमिट संख्या BR2023-SC-0128A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4392	BR2023-SC-0128A	09/01/2028	21/09/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/05/2024	28/11/2024	21/08/2024	05/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1396/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ARUN KUMAR MISHRA**

INDRADEO MISHRA

Address- AT- PRABHAT NAGAR COLONY ROAD NO-01 NEAR KABRISTHAN  
BHAGWANPUR MUSAHRI MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9801210606


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF4190 के परमिट संख्या BR2023-SC-0099A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF4190	BR2023-SC-0099A	09/01/2028	28/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/04/2024	26/07/2024	21/08/2024	26/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1397/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**POONAM DEVI**

MANOJ KUMAR YADAV

Address- B B GANJ BHAGWANPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR  
842001

Mob. No. 9973599595


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF8121 के परमिट संख्या BR2023-SC-0150A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF8121	BR2023-SC-0150A	09/01/2028	19/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2024	21/02/2025	24/04/2024	19/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1398/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ABHAY KUMAR**

S/O CHANDRAKANT CHAUDHARY

Address- GANDHI NAGAR DONAR DBG BIHAR 846004

Mob. No. 8789931505


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR07PA2689** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0147A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR07PA2689	BR2023-SC-0147A	09/01/2028	18/10/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/02/2024	12/01/2024	21/11/2024	13/11/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1399/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SATYNARAYAN RAY**

VINDA RAY

Address- GURDAH URF GHAUSNAGAR PO.-GURDAH PS.-RUNNISAIDPUR  
SITAMARHI BIHAR 843117

Mob. No. 8521986961


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA5661 के परमिट संख्या BR2023-SC-0151A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA5661	BR2023-SC-0151A	09/01/2028	30/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/02/2024	20/09/2024	13/07/2024	20/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1400/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KUMAR THAKUR**

S/O RAM SAROVAR THAKUR

Address- AT IMALICHATTI IFRONT OF POST OFFCE PS BRAHAMPURA  
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 8898000000


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC3051** के परमिट संख्या **BR/106/SC/97/2006** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC3051	BR/106/SC/97/2006	09/06/2026	01/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/03/2024	19/02/2025	01/09/2024	12/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1401/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## M/S BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

NA

Address- PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND PATEL PATH PATNA  
BIHAR 800001

Mob. No. 9111111111


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PL7603** के परमिट संख्या **BR2021-SC-0564A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL7603	BR2021-SC-0564A	09/03/2026	26/01/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/04/2024	10/01/2022	25/06/2024	09/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1402/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMBICA TRAVELS**

PROP. - SEEMA SINGH

Address- SHEKHPUR AKHARAGHAT MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 8986211811


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF3197** के परमिट संख्या **BR2022-SC-2379A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF3197	BR2022-SC-2379A	09/11/2027	06/03/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/02/2024	27/02/2024	22/02/2025	12/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1403 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**DEVENDRA KUMAR**

DHRUV NATH PRASAD

Address- AT- RAJESHWARI PALACE MOTIHARI PURBA CHAMPARAN  
BIHAR 845401

Mob. No. 8084075598


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF7592** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2937A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF7592	BR2023-SC-2937A	09/10/2028	24/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/04/2024	13/03/2024	25/07/2024	23/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1404/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAJESH KUMAR**

SURESH KUMAR

Address- PRABHAT NAGAR COLONY BHAGWANPUR SADAR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8102580631


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE5551** के परमिट संख्या **360/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5551	360/2019	09/09/2024	01/05/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/05/2024	28/05/2024	10/04/2023	25/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1405/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRAMOD KUMAR**

SATYA NARAYAN THAKUR

Address- NAYA TOLA SPEAKAR CHOWK MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 7488287099


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE6951** के परमिट संख्या **090/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE6951	090/2019	10/04/2024	20/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/04/2024	23/10/2024	24/11/2024	07/11/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1406/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMANTH SAURABH**

S/O KAILASH MISHRA

Address- AT VILL BHERIYAAHI SOTI PS KANTI MUZAFFARPUR BIHAR  
842001

Mob. No. 9963332122


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB6796** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/44** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB6796	BR/106/SC/B US/2019/44	10/12/2024	13/03/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/03/2024	12/02/2025	08/06/2024	16/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1407/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMAN BAGLA**

AJAY KUMAR BAGLA

Address- ADD OLD EXCHANGE ROAD WARD NO 10 CHAK MAHILA  
SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. No. 9264112909


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9951** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/39** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE9951	BR/106/SC/B US/2019/39	10/12/2024	06/12/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	16/08/2024	01/12/2024	06/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1408/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**DEVENDRA KUMAR**

DHRUVNATH PRASAD

Address- NEAR-RAJESHWARI PALACE WARD NO 20 BHAWANIPUR ZIRAT  
PO MOTIHARI PS CHHATAUNI PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 8084075598


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06GC9747** के परमिट संख्या **BR2023-SC-3409A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06GC9747	BR2023-SC-3409A	10/12/2028	18/09/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/04/2024	06/09/2024	29/07/2024	23/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1409/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**UMAKANT KUMAR SINGH**

S/O - LATE KISHORI SINGH

Address- AT-MATHIYA ZIRAT PS-CHHATAUNI MOTIHARI PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 9934565005


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR05P9619** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0169A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P9619	BR2023-SC-0169A	10/01/2028	22/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/05/2024	12/01/2025	14/08/2024	20/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1410/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRAMOD KUMAR SINGH**

LATE BHARAT BHUSHAN SINGH

Address- AT JHAKHARA PO JHAKHARA PS PIPRA KOTHI PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845429

Mob. No. 9431288788


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC2586 के परमिट संख्या BR2023-SC-0177A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC2586	BR2023-SC-0177A	10/01/2028	20/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/04/2024	02/10/2024	31/07/2024	10/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1411/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**M/S ALOK TRAVELS**

N/A MANAGING PARTNER ALOK KR SINGH

Address- AT KOLHUA DADAR PS AHIYAPUR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 9135570035


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC6128 के परमिट संख्या BR2023-SC-0196A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC6128	BR2023-SC-0196A	10/01/2028	12/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/03/2024	14/11/2024	11/10/2024	03/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1412/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ARUN KUMAR**

UMESH CHANDRA SINGH

Address- PAHARPUR PAHARPUR PAHARPUR PURBA CHAMPARAN BIHAR  
845459

Mob. No. 9122421395


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD6732** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0199A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD6732	BR2023-SC-0199A	10/01/2028	08/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/02/2024	15/07/2024	26/02/2024	30/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1413/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

N A

Address- PARIVAHAN BHAWAN BEERCHAND PATEL MARG PATNA

BIHAR 800001

Mob. No. 7322936339


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PP5814** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0833A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PP5814	BR2023-SC-0833A	10/03/2028	02/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/05/2024	13/03/2024	25/06/2024	02/12/2022

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1414/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

N A

Address- PARIVAHAN BHAWAN BEERCHAND PATEL MARG PATNA

BIHAR 800001

Mob. No. 7322936339


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PP5815** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0831A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PP5815	BR2023-SC-0831A	10/03/2028	02/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/05/2024	13/03/2024	25/06/2024	01/12/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1415/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAVINDRA NATH CHAUBEY**

S/O -BISHNU CHAUBEY

Address- AT-ARERAJ GOVINDGANJ MOTIHARI MOTIHARI PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 9673915116


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA1602 के परमिट संख्या BR2023-SC-0832A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA1602	BR2023-SC-0832A	10/03/2028	11/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2024	21/10/2023	07/02/2025	05/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1416/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAVINDRA NATH CHAUBEY**

S/O - SRI BISHNU CHAUBEY

Address- AT- MANANPUR GOVINDGANJ PS-GOVINDGANJ MOTIHARI  
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845421

Mob. No. 9673915116


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA3431 के परमिट संख्या BR2023-SC-0830A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA3431	BR2023-SC-0830A	10/03/2028	18/09/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/03/2024	13/09/2024	07/02/2025	12/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1417/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUJATA PANDEY**

W/O-ALOK KUMAR PANDEY

Address- VILL-PAKDI DUMARIYA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845423

Mob. No. 8789792440


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PB0346** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0850A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB0346	BR2023-SC-0850A	10/03/2028	08/05/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07/05/2024	18/04/2024	04/11/2024	24/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1418/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMAN DEVI**

W/O KAILASH MISHRA

Address- AT- ALKAPURI BHAGWANPUR CHOWK MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7004230596


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA4396 के परमिट संख्या BR2023-SC-0857A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA4396	BR2023-SC-0857A	10/03/2028	18/01/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	28/12/2024	21/12/2024	18/01/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1419/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MAHIP KUMAR**

S/O RAM NARAYAN SINGH

Address- AT MAHMADPUR DAMODAR PO MAHMADPUR BADAL PS SAKRA  
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 9006581351


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PB2199 के परमिट संख्या BR2023-SC-0841A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB2199	BR2023-SC-0841A	10/03/2028	04/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/05/2024	23/01/2025	14/01/2025	08/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1420/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ASHISH MANOHAR**

SATISH KUMAR SINGH

Address- ADD.-BRAHAMPURA MANDAP GALI SANJAY CINEMA ROAD MIT  
MUZAFFARPUR BIHAR 842003

Mob. No. 6203375510


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF4511** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0839A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF4511	BR2023-SC-0839A	10/03/2028	07/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	29/08/2023	07/10/2023	29/10/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1421/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ALOK KUMAR PANDEY**

RAMEKBAL PANDEY

Address- VILL- PAKARI PO- PURVI PAKARI PS- DUMARIYA GHAT PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845423

Mob. No. 7301285252


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA7237 के परमिट संख्या BR2022-SC-1108A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA7237	BR2022-SC-1108A	10/05/2027	30/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/05/2024	12/05/2024	16/11/2024	27/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1422/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VISHAL ANAND**

UMAKANT KUMAR SINGH

Address- ADD 164 WARD NO 14 NEAR CHHATAUNI CHOWK MATHIYA  
ZIRAT PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 9973359475


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE3927 के परमिट संख्या BR2023-SC-2947A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE3927	BR2023-SC-2947A	10/10/2028	12/08/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/10/2024	02/08/2024	03/03/2024	06/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1423/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ABDUL HANAN**

S/O HARUN RASID

Address- AT- TAKIYA YAKUB, TAKIYA BANAKAT ANCHAL- GOPALGANJ  
GOPALGANJ GOPALGANJ BIHAR 841428

Mob. No. 9934536220


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR28G7012** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0158A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28G7012	BR2020-SC-0158A	11/02/2025	20/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/04/2024	08/07/2024	16/08/2024	12/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1424/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAM NARESH PANDEY**

RAMBAHADUR PANDEY

Address- KUIRGAWAN MEHSI PURBA CHAMPARAN BIHAR 845426

Mob. No. 7301285252


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF2411** के परमिट संख्या **BR2024-SC-0368A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PF2411	BR2024-SC-0368A	11/02/2029	02/11/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/04/2024	29/12/2024	16/11/2024	04/11/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1425/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ROHIT KUMAR**

RAM KRIPAL SINGH

Address- NEAR RAILWAY LINE DAMUCHAK CHOWK KAZI

MOHAMMADPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7979736060


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF0979** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2007A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF0979	BR2023-SC-2007A	11/07/2028	16/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/05/2024	11/02/2024	20/02/2024	15/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1426/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ABHISHEK KUMAR**

VIJAY SINGH

Address- HARDIYABAD DAMODARPUR PANCHAYAT PURBA CHAMPARAN  
BIHAR 845416

Mob. No. 7491963669


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF8534** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2003A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF8534	BR2023-SC-2003A	11/07/2028	01/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/04/2024	31/01/2025	01/02/2025	02/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1427/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KUMAR JHA**

CHANDRIKA JHA

Address- AT&PO-MADHURAPUR PS-BIDUPUR VAISHALI BIHAR 844503

Mob. No. 9973666239


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR51P1455** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2002A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR51P1455	BR2023-SC-2002A	11/07/2028	05/01/2026

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/03/2024	11/06/2024	15/07/2024	03/01/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1428/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SANGITA KUMARI**

DEVENDRA KUMAR

Address- AKHILESH VERMA GALI BANK ROAD MOTIHARI BHAWANIPUR  
ZIRAT PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 7004703026


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF0955** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1427A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF0955	BR2023-SC-1427A	11/05/2028	19/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/05/2024	14/02/2025	08/05/2024	08/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1429/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**KANCHAN KUMARI**

DHIRAJ KUMAR

Address- WARD NO 20 BHAWANIPUR ZIRAT MOTIHARI PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 7004703026


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF5533 के परमिट संख्या BR2023-SC-1434A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF5533	BR2023-SC-1434A	11/05/2028	06/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	06/02/2025	17/02/2025	08/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1430 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAJIV KUMAR SINGH**

PRAMOD SINGH

Address- WARD NO 04 SINGHWAHINI SINGHBAHNI SITAMARHI BIHAR  
843317

Mob. No. 8002686011


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE4232** के परमिट संख्या **531/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4232	531/2019	11/10/2024	04/09/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	29/08/2024	09/05/2024	22/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1431/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SANJAY KUMAR SINGH**

BAIDYA NATH SINGH

Address- HARDIYABAD PO DAMODARPUR PURBA CHAMPARAN BIHAR  
845416

Mob. No. 7491963669


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB2874 के परमिट संख्या BR2023-SC-2586A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB2874	BR2023-SC-2586A	11/09/2028	08/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/05/2024	30/03/2024	29/10/2024	01/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1432/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NEHA KUMARI**

ROHIT KUMAR

Address- MOHALLA- DAMUCHOWK, NEAR RAILWAY LINE,  
MAHAMMADPUR KAZI MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7979736060


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF6982** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2589A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF6982	BR2023-SC-2589A	11/09/2028	16/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/03/2024	12/06/2024	16/06/2024	19/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1433 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RENU SINGH**

W/O SATISH KUMAR SINGH

Address- BRAHAMAPUR MIT MUZAFFARPUR BIHAR 842003

Mob. No. 7764996238


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE3842** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/54** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE3842	BR/106/SC/B US/2019/54	12/12/2024	03/08/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/04/2024	19/01/2024	22/02/2025	01/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1434/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NEHA KUMARI**

ROHIT KUMAR

Address- DAMUCHOWK NEAR RAILWAY LINE MOHAMMADPUR KAZI  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7979736060


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE4591** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/46** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4591	BR/106/SC/B US/2019/46	12/12/2024	03/10/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2024	19/09/2024	12/10/2024	26/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1435/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAM DINESH SINGH**

CHANDESHWR SINGH

Address- WARD NO 10 CHIHUTA MUZAFFARPUR BIHAR 843312

Mob. No. 9525474566


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE4961** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/50** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4961	BR/106/SC/B US/2019/50	12/12/2024	12/10/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/03/2024	01/12/2024	10/06/2024	10/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1436/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PIYUSH**

MITHILENDRA KUMAR RAY

Address- MADHAW NAGAR MURSAND SITAMARHI BIHAR 843328

Mob. No. 9431285779


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA2430** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/52** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA2430	BR/106/SC/B US/2019/52	12/12/2024	20/11/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/04/2024	03/05/2024	09/02/2025	29/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1437/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PINKI DEVI**

BRAJESH KUMAR

Address- BISHUNPUR RAM LOMA CHAKUNDA PO RAJAPAKAR PS BARATI  
OP VAISHALI BIHAR 844124

Mob. No. 9934979771


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA6851** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/47** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA6851	BR/106/SC/B US/2019/47	12/12/2024	09/10/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/04/2024	15/09/2024	01/11/2024	05/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1438/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NAGESHWAR RAY**

S/O JAGDIP RAY

Address- WARD NO 10 RUNNISAIDPUR SITAMARHI BIHAR 843328

Mob. No. 9934670554


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR30PA9661** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2058A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA9661	BR2023-SC-2058A	12/07/2028	12/06/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/03/2024	16/09/2024	06/06/2024	06/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1439/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUBODH KUMAR**

NAGESHWAR PRASAD YADAV

Address- WARD NO 10 RUNNISAIDPUR SITAMARHI BIHAR 843328

Mob. No. 9504954461


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA9761** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2042A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR30PA9761	BR2023-SC-2042A	12/07/2028	06/06/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/05/2024	03/05/2024	23/12/2024	27/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1440/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KR THAKUR**

S/O LT RAM SAROVAR THAKUR

Address- AT IMELICHATTI PS BRAHMPURA MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9431417651


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC3951** के परमिट संख्या **BR/105/2006** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC3951	BR/105/2006	12/06/2026	04/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2024	13/07/2024	16/01/2025	24/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1441/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VINAY KUMAR SINGH**

S/O JAGANNATH SINGH

Address- RAGHUNATHPURI MEHSAUL SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. No. 9709543297


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD9937** के परमिट संख्या **405/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9937	405/2019	12/09/2024	07/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/04/2024	03/11/2024	28/11/2024	17/11/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1442/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## SHEET BASANT TRANCORP PVT LTD

DIR SUMANTH SAURABH

Address- SHEET BASANT FUEL SERVICE NH 28 KANTI KASBA INFRONT OF MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8294456456


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE2696** के परमिट संख्या **424/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE2696	424/2019	12/09/2024	28/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	25/02/2025	26/02/2024	22/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1443/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ASHOK KUMAR THAKUR**

LAKSHMAN THAKUR

Address- KANTI KASVA MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8294619996


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE7496** के परमिट संख्या **401/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7496	401/2019	12/09/2024	04/08/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	04/09/2024	26/01/2025	09/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1444/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAGHVENDRA NARAYAN YADAV**

LATE NAGENDR PRASAD YADAV

Address- WARD NO-04 GRAM CHAKMAHILA CHAKMAHILA SITAMARHI  
BIHAR 843301

Mob. No. 9110057308


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA4690 के परमिट संख्या 404/2019 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA4690	404/2019	12/09/2024	07/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07/04/2024	29/06/2024	07/07/2024	02/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1445/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ROHIT KUMAR**

RAM KRIPAL SINGH

Address- NEAR RALWAY LINE, DAMU CHOWK MUHAMMADPUR KAZI  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9334910351


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF6981** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2604A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF6981	BR2023-SC-2604A	12/09/2028	16/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/03/2024	12/06/2024	16/06/2024	19/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1446/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMANTH SAURABH**

S/O KAILASH MISHRA

Address- SHREE KRISHNAPURI BHAGWANPUR CHOWK MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8294619996


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06GC4096 के परमिट संख्या BR2022-SC-0140A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06GC4096	BR2022-SC-0140A	13/01/2027	23/05/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/03/2024	23/03/2024	21/10/2023	11/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1447/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAJAN MISHRA**

CHANDRA KISHORE MISHRA

Address- RAJA BAZAR TOWN MOTIHARI PURBA CHAMPARAN BIHAR  
845401

Mob. No. 9431409793


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR05P4494** के परमिट संख्या **237/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P4494	237/2019	13/06/2024	05/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/02/2024	31/05/2024	15/08/2024	04/12/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1448/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUDHIR KUMAR**

NAGESHWAR RAY

Address- HOSPITAL ROAD RUNNISAIDPUR SITAMARHI BIHAR 843301

Mob. No. 9504954461


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE6961** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0306A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE6961	BR2020-SC-0306A	13/03/2025	22/12/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/03/2024	22/10/2024	25/09/2024	21/12/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1449/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BARUN PRAKASH PANDEY**

S/O AJAY PANDEY

Address- AT KRISHNAPURI BAHGWANPUR CHOWK MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8294619996


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC4296** के परमिट संख्या **BR/106/SC/08/2015** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC4296	BR/106/SC/08/2015	13/11/2025	24/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/02/2024	06/11/2024	02/01/2025	07/11/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1450/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RITU SHARMA**

RANVEER KUMAR

Address- MADHAUL PO SUSTA MADHOPUR MUSAHRI MUZAFFARPUR  
BIHAR 842001

Mob. No. 9471480440


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE3540** के परमिट संख्या **00009/2015** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE3540	00009/2015	13/11/2025	22/08/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2024	22/08/2024	03/03/2024	16/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1451/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ANANJEY GAUTAM**

S/O RAM KUMAR SINGH

Address- AT- CLUB ROAD PO- MITHANPUR VSL DIST VAISHALI BIHAR  
999999

Mob. No. 9430409909


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR31GA2840 के परमिट संख्या 011/2015 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31GA2840	011/2015	13/11/2025	19/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/03/2024	21/11/2024	01/11/2024	26/11/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1452/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUNIL KUMAR CHAUBEY**

VISHNU CHAUBEY

Address- ADD WARD NO 03 NEAR POKHARA GOBIND GANJ MANANPUR  
ARERAJ PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 9673915116


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB5772 के परमिट संख्या BR2023-SC-2952A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB5772	BR2023-SC-2952A	13/10/2028	14/11/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	05/11/2024	02/01/2025	11/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1453/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MAHENDRA KUMAR DWIVEDI**

S/O MURAT DWIVEDI

Address- AT PO ARERAJ PS ARERAJ PURBA CHAMPARAN BIHAR 845411

Mob. No. 9431053943


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR05PB8550** के परमिट संख्या **442/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB8550	442/2019	13/09/2024	17/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/02/2024	16/04/2024	26/04/2024	10/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1454/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MURARI PRASAD**

S/O -SHIV RAUT

Address- AT-CHANAKYA NAGAR PO-B H COLONY PS-KUMHAR DIST-  
PATNA A/P-NALANDA BIHAR NALANDA BIHAR 803101

Mob. No. 8083104554


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR21P2086 के परमिट संख्या 458/2019 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR21P2086	458/2019	13/09/2024	04/02/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/04/2024	18/09/2024	08/08/2024	29/11/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1455/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NAWEEN CHANDRA**

DIGAMBAR PD SINGH

Address- VILL-MAHAMADPUR POST-SONKI PS-SADAR DARBHANGA  
BIHAR 846009

Mob. No. 8051263918


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR30PA4351** के परमिट संख्या **454/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA4351	454/2019	13/09/2024	20/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	29/08/2024	16/05/2024	27/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1456/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**JANKI SHUKLA**

W/O LATE AWADHESH KUMAR SHUKLA

Address- AT NAYA TOLA SPEAKER CHOWK MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8989000000


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD9009** के परमिट संख्या **0387/2013** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9009	0387/2013	13/09/2028	22/08/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/02/2024	18/07/2024	03/09/2024	16/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1457/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**DAYNAND KUMAR**

S/O RAM PRIT RAI

Address- AT H NO 55 VILL MAHUA SINGHRAY PO MAHUA HAJIPUR  
VAISHALI VAISHALI BIHAR 844101

Mob. No. 7800000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD6506** के परमिट संख्या **00856/2010** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD6506	00856/2010	14/12/2025	03/11/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/04/2024	13/10/2024	05/06/2024	31/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1458/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PREM KUMAR CHAUDHARY**

S/O RAMA NAND CHAUDHARY

Address- AT MARIPUR PO HPO PS KAZIMOHAMMADPUR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9334900106


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PA7465** के परमिट संख्या **BR/106/SC/250/2006** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA7465	BR/106/SC/250/2006	14/12/2026	28/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/04/2024	12/03/2024	16/08/2024	16/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1459/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**KIRAN SHUKLA**

LATE KAUSHLENDRA SHUKLA

Address- HOUSE NO-116 SPEAKER CHOWK MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7488287099


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF0951 के परमिट संख्या BR2022-SC-2641A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF0951	BR2022-SC-2641A	14/12/2027	14/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/05/2024	24/01/2025	09/05/2024	12/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1460 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRAMOD KUMAR**

SATYANARAYAN THAKUR

Address- NAYA TOLA SPEAKER CHOWK MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 7488287099


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA7751** के परमिट संख्या **BR2022-SC-2640A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA7751	BR2022-SC-2640A	14/12/2027	07/02/2026

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/05/2024	03/01/2025	30/03/2024	08/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1461/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NIBHA THAKUR**

W/O VIJAY KUMAR THAKUR

Address- AT IMLICHATTI PS BRAHAMPURA MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9308113106


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PB3052** के परमिट संख्या **BR/106/SC/08/2013** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB3052	BR/106/SC/08/2013	14/02/2028	07/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/05/2024	30/11/2024	01/09/2024	02/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1462 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

NA

Address- PARIWAHAN BHAWAN BEERCHAND PATEL PATH PATNA

PATNA BIHAR 800001

Mob. No. 6204750152


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PL6826** के परमिट संख्या **BR2021-SC-1323A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL6826	BR2021-SC-1323A	14/07/2026	18/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/05/2024	13/03/2024	23/03/2024	13/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1463 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

NA

Address- PARIWAHAN BHAWAN BEERCHAND PATEL PATH PATNA

PATNA BIHAR 800001

Mob. No. 6204750152


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PL6827** के परमिट संख्या **BR2021-SC-1322A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL6827	BR2021-SC-1322A	14/07/2026	21/05/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/05/2024	13/03/2024	21/06/2024	01/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1464/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

N A

Address- PARIVAHAN BHAWAN BEERCHAND PATEL MARG PATNA

BIHAR 800001

Mob. No. 6204750119


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PP6337** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0879A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PP6337	BR2023-SC-0879A	14/03/2028	26/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/05/2024	13/03/2024	25/06/2024	23/12/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1465/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

N A

Address- PARIVAHAN BHAWAN BEERCHAND PATEL MARG PATNA

BIHAR 800001

Mob. No. 6204750119


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PP6633** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0880A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PP6633	BR2023-SC-0880A	14/03/2028	04/01/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/05/2024	13/03/2024	26/06/2024	03/01/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1466/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRAMOD KUMAR**

SATYA NARAYAN THAKUR

Address- NAYA TOLA SPEAKER CHOWK PS KAZIMOHAMMADPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7488287099


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE4751** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0877A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4751	BR2023-SC-0877A	14/03/2028	02/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/05/2024	07/06/2024	18/06/2024	09/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1467/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ARUN KR MISHRA**

S/O LT INDRADEV MISHRA

Address- AT PRABHAT NAGAR BHAGWANPUR PS SADAR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 844201

Mob. No. 9801210606


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD5851 के परमिट संख्या BR2022-SC-2427A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD5851	BR2022-SC-2427A	14/11/2027	13/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/04/2024	07/11/2024	11/06/2024	25/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1468/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MR. SHASHI CHANDAN RAY**

S/O.-UMESHWAR RAY

Address- ADD.-JALALPUR ANRUDH VAISHALI BIHAR 844121

Mob. No. 9771745019


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF2968** के परमिट संख्या **BR2022-SC-2431A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2968	BR2022-SC-2431A	14/11/2027	02/02/2026

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/04/2024	26/01/2025	01/07/2024	24/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1469/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SURAJ VATS**

LAL BAHADUR SINGH

Address- W NO 14 PATHAR SAMASTIPUR SAMASTIPUR BIHAR 848101

Mob. No. 9973933088


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE7507** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2623A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7507	BR2023-SC-2623A	14/09/2028	12/11/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/04/2024	03/12/2024	26/05/2024	21/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1470/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ARUN KUMAR MISHRA**

LT.INDRADEO MISHRA

Address- S/O N P SRIVASTAVA MUZAFFARPUR BIHAR MUZAFFARPUR  
BIHAR 842001

Mob. No. 9835208980


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06P8889** के परमिट संख्या **BR2022-SC-0821A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P8889	BR2022-SC-0821A	15/04/2027	28/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	24/10/2024	13/08/2024	03/11/2023

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1471/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUNEETA SINHA**

ANIL SINGH

Address- ADD KANTA PO SUSTA TOK KANTA PIRAUCHHA MUZAFFARPUR  
BIHAR 843118

Mob. No. 7488478775


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE5429 के परमिट संख्या BR2023-SC-2312A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5429	BR2023-SC-2312A	15/08/2028	09/11/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/04/2024	04/01/2025	29/12/2024	22/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1472/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**KIRAN SHUKLA**

LATE KAUSHLENDRA SHUKLA

Address- AT NAYA TOLA SPEAKER CHOWK RAMNA

KAZIMOHAMMADPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 7488287099


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE5651** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/64** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5651	BR/106/SC/BUS/2019/64	15/12/2024	17/10/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/04/2024	16/09/2024	12/10/2024	18/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1473 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## M/S.BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

NA

Address- PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND PATEL PATH PATNA  
BIHAR 800001

Mob. No. 9111111111


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PL7536** के परमिट संख्या **BR2021-SC-1334A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL7536	BR2021-SC-1334A	15/07/2026	13/08/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/04/2024	13/03/2024	13/01/2024	11/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1474/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

NA

Address- PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND PATEL PATH PATNA

BIHAR 800001

Mob. No. 9111111111


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PL7550** के परमिट संख्या **BR2021-SC-1335A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL7550	BR2021-SC-1335A	15/07/2026	05/05/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/04/2024	13/03/2024	05/01/2025	05/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1475/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMAN DEVI**

KAILASH MISHRA

Address- BHERIYAH I SOTI HARDASPUR KANTI MUZAFFARPUR BIHAR  
843109

Mob. No. 8294619996


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF1196 के परमिट संख्या BR2021-SC-1339A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF1196	BR2021-SC-1339A	15/07/2026	11/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/03/2024	08/03/2024	21/10/2023	03/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1476/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMUKH SAURABH**

KAILASH MISHRA

Address- BHERIYAH I SOTI HARDASPUR KANTI MUZAFFARPUR BIHAR  
843109

Mob. No. 8579965811


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF1296 के परमिट संख्या BR2021-SC-1338A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF1296	BR2021-SC-1338A	15/07/2026	22/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/03/2024	18/03/2024	20/10/2024	03/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1477/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PAPPU KUMAR SINGH**

S/O RAM JATAN SINGH

Address- AT- KANCHANPUR PO- RAHIMAPUR PS- BIDUPUR VAISHALI  
VAISHALI BIHAR 999999

Mob. No. 8936858365


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31P1453** के परमिट संख्या **BR2021-SC-1040A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P1453	BR2021-SC-1040A	15/06/2026	15/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/02/2024	09/02/2025	18/06/2024	26/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1478/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAM JATAN SINGH**

S/O LATE RAM LAKHAN SINGH

Address- AT-CHAK KANCHANPUR, PO-RAHIMAPUR PS-BIDUPUR VAISHALI  
VAISHALI BIHAR 999999

Mob. No. 9561028582


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31P8494** के परमिट संख्या **BR2021-SC-1041A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P8494	BR2021-SC-1041A	15/06/2026	23/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/03/2024	09/02/2025	03/07/2024	13/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1479/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**CHANDAN KUMAR**

NAWAL KISHORE RAY

Address- AT PO RAMPURHARI PS MINAPUR MUZAFFARPUR BIHAR 843117

Mob. No. 9708013661


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9861** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0314A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE9861	BR2020-SC-0314A	15/03/2025	17/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/04/2024	04/06/2024	18/06/2024	19/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1480/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RENU SHARMA**

AWDHESH KUMAR SHARMA

Address- SHEOHAR KUANWAN KUAMA SHEOHAR BIHAR 843325

Mob. No. 8789040211


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE4769** के परमिट संख्या **574/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4769	574/2019	15/10/2024	08/10/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2024	27/09/2024	11/05/2024	06/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1481/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MRS. GODAVARI DEVI**

RAGHWESH KUMAR

Address- SANJAY CINEMA ROAD NEAR MANDAP VIVAH BHAWAN GALI  
BRAHMPURA MIT MUZAFFARPUR BIHAR 842003

Mob. No. 9199636661


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE0639** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/76** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE0639	BR/106/SC/B US/2019/76	16/12/2024	01/01/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/02/2024	07/02/2025	11/09/2024	03/01/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1482 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SHEELA MISHRA**

MUKUL KUMAR MISHRA

Address- AT RASULPUR JILANI WARD NO 10 MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9471214097


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31AH4879** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/75** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31AH4879	BR/106/SC/BUS/2019/75	16/12/2024	26/04/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/04/2024	26/04/2024	20/03/2024	26/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1483 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**UDAY SHANKAR PRASAD SINGH**

DHARAMDEV PRASAD SINGH

Address- SHERPUR MAJHAULI DHARMDAS PS MUSHAHARI

MUZAFFARPUR BIHAR 842005

Mob. No. 9304942130


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA9543** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/87** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA9543	BR/106/SC/B US/2019/87	16/12/2024	24/04/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/04/2024	25/06/2024	11/04/2024	24/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1484/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NIDHI KUMARI**

D/O LATE B SINGH

Address- AT FRASER ROAD PATNA PATNA BIHAR 999999

Mob. No. 9973221143


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD4058** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1476A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD4058	BR2023-SC-1476A	16/05/2028	05/02/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	31/01/2025	12/11/2024	06/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1485/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BACHU MIYA U/LA B S R T C**

JAMIR MIYA

Address- AT PO DUMRA SHANAKEEWAN PURBA CHAMPARAN BIHAR  
845417

Mob. No. 7033181846


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF0866 के परमिट संख्या BR2023-SC-1478A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF0866	BR2023-SC-1478A	16/05/2028	26/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/05/2024	29/12/2024	23/02/2024	22/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1486/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VED PRAKASH PANDEY**

S/O -VALMIKI PANDEY

Address- AT-MALAHITOLA AT-AMALAHITOLA BETTIAH PASHCHIM  
CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. No. 7261090094


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR22P0983** के परमिट संख्या **494/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P0983	494/2019	16/09/2024	09/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	09/12/2023	21/08/2024	26/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1487/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**KRISHNA KUMAR U/LA BSRTC**

NARAYAN SHARMA

Address- CHHOTA BARIYARPUR NEAR HAWAI ADDA MOTIHARI PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 8210539059


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB5783 के परमिट संख्या BR2022-SC-0839A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB5783	BR2022-SC-0839A	17/04/2027	04/12/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	31/10/2024	20/11/2024	29/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1488/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**KRISHNA KUMAR U/LA BSRTC**

NARAYAN SHARMA

Address- CHHOTA BARIYARPUR NEAR HAWAI ADDA MOTIHARI PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 8210539059


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB5835 के परमिट संख्या BR2022-SC-0840A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB5835	BR2022-SC-0840A	17/04/2027	11/12/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/02/2024	21/11/2024	10/12/2024	29/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1489/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AJAY PANDEY**

TRILOKI NATH PANDEY

Address- SHYAMPUR SHYAMPUR ADAPUR PURBA CHAMPARAN BIHAR  
845301

Mob. No. 8294619996


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR31PA7796 के परमिट संख्या BR2021-SC-0022A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA7796	BR2021-SC-0022A	17/01/2026	27/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/04/2024	13/03/2024	14/03/2024	19/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1490/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SAHDEO RAI**

SITAL RAI

Address- DIGHI KHURD DIGHI KALA HAJIPUR VAISHALI BIHAR 844101

Mob. No. 9835455970


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31PA6892** के परमिट संख्या **BR2021-SC-1073A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA6892	BR2021-SC-1073A	17/06/2026	25/10/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/04/2024	23/09/2024	19/06/2024	18/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1491/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SAHDEO RAI**

SITAL RAI

Address- DIGHI KHURD DIGHI KALA HAJIPUR VAISHALI BIHAR 844101

Mob. No. 9835455970


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31PA6894** के परमिट संख्या **BR2021-SC-1074A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA6894	BR2021-SC-1074A	17/06/2026	05/12/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/04/2024	29/09/2024	13/07/2024	17/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1492/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RENU MISHRA**

W/O SATYADENDRA MISHRA

Address- AT- RAJA BAZAR PO/PS- MOTIHARI MOTIHARI PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 9771129685


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR05P2205** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0351A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P2205	BR2020-SC-0351A	17/03/2025	15/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/03/2024	11/04/2024	11/04/2024	04/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1493/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SARDA DEVI**

W/O -BINOD SHARMA

Address- C/O-RAJEEV KR AT-BELBAG COLONY PO-BANGALI COLONY PS-BETTIAH BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. No. 7261090094


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR22P7071** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0361A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P7071	BR2020-SC-0361A	17/03/2025	14/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12/03/2024	09/02/2025	28/12/2024	11/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1494/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KUMAR JHA**

CHANDRAIKA JHA

Address- AT&PO-MADHURAPUR PS-BIDUPUR VAISHALI BIHAR 844503

Mob. No. 9973666239


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR51P1446** के परमिट संख्या **BR2023-SC-3020A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR51P1446	BR2023-SC-3020A	17/10/2028	05/01/2026

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/03/2024	12/06/2024	15/07/2024	16/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1495 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ KUMAR**

JAGARNATH DUBEY

Address- SHREE RAMPURI, BHAGWANPUR, P.S.SARDAR, DISTT.-  
MUZAFFARPUR, BIHAR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7488287099


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE4551 के परमिट संख्या 312/2019 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4551	312/2019	17/09/2024	01/05/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/05/2024	28/04/2024	18/09/2024	16/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1496/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AVADH KISHOR CHOUDHARY**

S/O RAMSWARATH CHOUDHARY

Address- WARD NO 10 KALAGARDEN MAHSAUL URF RAMPUR

SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. No. 9771179838


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE7311** के परमिट संख्या **498/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7311	498/2019	17/09/2024	29/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07/03/2024	16/06/2024	11/05/2024	29/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1497/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KR JHA**

S/O LT CHANDRIKA JHA

Address- AT PO MADHURAPUR PS BIDUPUR VAISHALI VAISHALI BIHAR  
999999

Mob. No. 9631413307


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC7907 के परमिट संख्या BR2023-SC-2326A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC7907	BR2023-SC-2326A	18/08/2028	03/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/05/2024	25/04/2024	19/02/2025	05/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1498/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SARFRAZ AHMAD**

S/O SHAKIR HUSSAIN

Address- AZAD ROAD CHANDWARA CHANDWARA MUZAFFARPUR  
BIHAR 842001

Mob. No. 6202941011


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE4786** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/100** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4786	BR/106/SC/B US/2019/100	18/12/2024	24/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/10/2023	11/07/2023	24/07/2024	10/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1499/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AJEET KUMAR**

RAM SANJIWAN SHAHI

Address- SAHBAJPUR VIKHANPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 8862902732


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE7136** के परमिट संख्या **BR2022-SC-2662A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7136	BR2022-SC-2662A	18/12/2027	26/01/2026

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2024	10/01/2025	13/04/2024	22/01/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1500 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AJEET KUMAR**

RAM SANJIWAN SHAHI

Address- SAHBAJPUR VIKHANPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 9708658846


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE7134** के परमिट संख्या **BR2021-SC-0034A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE7134	BR2021-SC-0034A	18/01/2026	26/01/2026

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2024	10/01/2025	01/05/2024	21/01/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1501/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMAN DEVI**

KAILASH MISHRA

Address- BHERIYAH I SOTI HARIDASPUR PS KANTI MUZAFFARPUR BIHAR  
843109

Mob. No. 8294619996


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8396 के परमिट संख्या BR2021-SC-0033A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8396	BR2021-SC-0033A	18/01/2026	01/09/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/03/2024	16/11/2024	14/01/2025	22/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1502 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ KUMAR YADAV**

LATE CHANDESHWAR RAY

Address- BIBIGANJ BAGHWANPUR PS SADAR MUSAHRI MUZAFFARPUR  
BIHAR 842001

Mob. No. 9431266337


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE9721 के परमिट संख्या BR2021-SC-0035A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE9721	BR2021-SC-0035A	18/01/2026	04/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/02/2024	23/11/2024	14/12/2024	31/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1503 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NILU KUMARI**

KAUSHAL KISHORE TRIPATHI

Address- NIAR BARAHIYA KOTHIA 304 SIYA CHANDRIKA COMPLEX RMS  
COLONY PATNA BIHAR 800020

Mob. No. 9135983024


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE3274 के परमिट संख्या BR2023-SC-2113A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE3274	BR2023-SC-2113A	18/07/2028	17/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	06/03/2024	20/02/2024	12/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापक:- 1504/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## SHEET BASANT TRANCORP PVT LTD

DIR SUMANTH SAURABH

Address- SHEET BSANT FUEL SERVICE NH 28 KANTI KASBA INFRONT OF MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8294619996


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE2596** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/1** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE2596	BR/106/SC/BUS/2019/1	18/11/2024	12/04/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	08/04/2024	10/04/2024	11/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1505 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NAMITA KUMARI U/L BSRTC**

SATISH KUMAR

Address- AT-P.N.T ROAD NEAR CHANDRASHEKHAR BHAWAN

MITHANPURA PO-RAMNA PS-MITHANPURA MUZAFFARPUR BIHAR

842002

Mob. No. 9931474351


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PB5572** के परमिट संख्या **BR2022-SC-2469A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB5572	BR2022-SC-2469A	18/11/2027	17/01/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/04/2024	06/04/2024	30/10/2024	15/01/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1506/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SATISH KUMAR**

S/O SRI RAM BABU PRASAD SINGH

Address- AT PNT ROAD MITHANPURA MITHANPURA MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 8890000000


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD2751 के परमिट संख्या BR2022-SC-2468A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD2751	BR2022-SC-2468A	18/11/2027	16/01/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/04/2024	26/11/2024	01/08/2024	11/01/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1507/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SANJAY KUMAR SINGH**

BAIDYA NATH SINGH

Address- HARDIYABAD PO DAMODARPUR PURBA CHAMPARAN BIHAR  
845416

Mob. No. 7491963669


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB2875 के परमिट संख्या BR2023-SC-2657A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB2875	BR2023-SC-2657A	18/09/2028	08/02/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/05/2024	30/03/2024	29/10/2024	01/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1508/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RHDC(OPC) PVT LTD U/LA B S R T C**

PROP- HARI MOHAN KUMAR

Address- VILL SINGIYAH ROAD ANCHAL/THANA PUPRI SITAMARHI  
BIHAR 843320

Mob. No. 8866777011


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF2913 के परमिट संख्या BR2022-SC-0880A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2913	BR2022-SC-0880A	19/04/2027	23/01/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2024	23/01/2024	16/01/2025	29/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1509 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MRITUNJAY SHARAN THAKUR**

LT SHIV GOVIND SHARAN THAKUR

Address- AT-PANDIT BHAWAN KACCHI SARAI MITHANPURA RAMNA  
MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 9973666239


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31AD9507** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/104** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31AD9507	BR/106/SC/BUS/2019/104	19/12/2024	16/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/06/2024	26/07/2024	06/02/2025	10/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1510/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**KAUSHAL KISHOR SINGH**

RAM BALAK SINGH

Address- SHEKHPUR AKHARAGHAT SHEKHPURA MUZAFFARPUR BIHAR  
842002

Mob. No. 8292908636


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF4425** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0299A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF4425	BR2023-SC-0299A	19/01/2028	27/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/05/2024	28/08/2024	28/12/2024	28/08/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1511/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## RAI AUTOMOBILES

I/C PROP- SAHDEV RAI

Address- AT- DIGHI KHURD DIGHIKALA HAJIPUR BIHAR 844101

Mob. No. 8651578552


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA3576** के परमिट संख्या **BR2024-SC-0138A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA3576	BR2024-SC-0138A	19/01/2029	24/01/2026

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/02/2024	21/11/2024	19/12/2024	19/12/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1512/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMUKH SAURABH**

KAILASH MISHRA

Address- BHERIYAH I SOTI HARDASPUR KANTI MUZAFFARPUR BIHAR  
843109

Mob. No. 8579965811


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF7096** के परमिट संख्या **BR2021-SC-1388A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF7096	BR2021-SC-1388A	19/07/2026	28/05/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/03/2024	04/05/2024	20/10/2024	12/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1513/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SMT. PUNAM KUMARI**

W/O- MAHIP KUMAR

Address- AT- MAHMADPUR PO- MAHAMADPUR BADAL DAMODAR PS-  
SAKRA MUZAFFARPUR BIHAR 843119

Mob. No. 9006581351


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF4111 के परमिट संख्या BR2022-SC-0899A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF4111	BR2022-SC-0899A	20/04/2027	17/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/02/2024	12/02/2025	26/02/2024	08/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1514/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMAR JYOTI TRAVELS**

N/A PATNER BALINDRA RAI

Address- AT UMA MARKET THANA GUMTI MOTIJHEEL MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9334902252


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06GB7551 के परमिट संख्या 0329/2009 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06GB7551	0329/2009	20/08/2024	02/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/03/2024	11/10/2024	20/06/2024	21/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1515/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMUKH SAURABH**

KAILASH MISHRA

Address- ALKAPURI BHAGWANPUR SADAR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 7890000000


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06P9696** के परमिट संख्या **BR2022-SC-0374A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P9696	BR2022-SC-0374A	20/02/2027	07/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/03/2024	05/03/2024	14/07/2024	02/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1516/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**KAILASH MISHRA**

S/O RAMA KANT MISHRA

Address- AT- KRISHNAPURI BHAGWANPUR CHOWK MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8988900000


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA3196 के परमिट संख्या BR2022-SC-0373A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA3196	BR2022-SC-0373A	20/02/2027	06/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/05/2024	07/12/2024	12/04/2024	30/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1517/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ KUMAR YADAV**

S/O LT CHANDESHWAR RAY

Address- AT+PO- BIBIGANJ BHAGWANPUR PS- SADAR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 9431266337


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA8121 के परमिट संख्या BR2022-SC-0396A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA8121	BR2022-SC-0396A	20/02/2027	18/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/04/2024	02/03/2024	08/12/2024	20/01/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1518/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SANGITA KUMARI**

DEVENDRA KUMAR

Address- ADD AKHILESH VERMA GALI BANK ROAD MOTIHARI

BHAWANIPUR ZIRAT PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 7004703026


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE5485 के परमिट संख्या BR2022-SC-0388A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5485	BR2022-SC-0388A	20/02/2027	03/11/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/04/2024	10/10/2024	17/02/2025	02/11/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1519/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BHOLA KUMAR**

ANAND PRAKASH

Address- WARD NO 1 PURANI BAZAR NARKATIAGANJ BETTIAH

PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845455

Mob. No. 9431093537


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR22GB9221** के परमिट संख्या **BR2022-SC-0381A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22GB9221	BR2022-SC-0381A	20/02/2027	24/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/04/2024	08/06/2024	04/09/2024	07/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1520 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BINOD KUMAR**

S/O CHHOTALAL CHOUDHARY

Address- VILL+ DADHUA, PO- SUKKI PS- PATEPUR HAJIPUR VAISHALI  
VAISHALI BIHAR 843114

Mob. No. 8271058373


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31P5822** के परमिट संख्या **BR2022-SC-0386A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P5822	BR2022-SC-0386A	20/02/2027	05/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/04/2024	01/05/2024	03/11/2024	02/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1521/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ KUMAR YADAV**

S/O LT CHANDESHWAR RAY

Address- AT PO BIBIGANJ JAGDAMBA ASTHAN PS SADAR BHAGWANPUR  
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9980000000


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PB6521** के परमिट संख्या **0013/2013** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB6521	0013/2013	20/02/2028	24/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/05/2024	02/03/2024	25/07/2024	07/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1522/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VEDPRAKASH PANDEY**

S/O -JANARDHAN PANDEY

Address- STATION CHOWK BETTIAH BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN  
BIHAR 845438

Mob. No. 7261090094


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR22P3789** के परमिट संख्या **BR2021-SC-0044A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P3789	BR2021-SC-0044A	20/01/2026	14/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	09/12/2023	04/07/2024	08/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1523 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BSRTC**

NA

Address- PARIWAHAN BHAWAN BEERCHAND PATEL PATH PATNA PATNA  
BIHAR 800001

Mob. No. 7322936339


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PF0455** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0312A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PF0455	BR2023-SC-0312A	20/01/2028	06/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/03/2024	13/03/2024	28/07/2024	22/11/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1524/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MUKESH SHARMA**

S/O RAM BRICH RAY

Address- AT+PO- KHABRA PS- SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 842001

Mob. No. 9955410359


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PA3225** के परमिट संख्या **BR/SC/106/422/2011** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA3225	BR/SC/106/42 2/2011	20/06/2026	31/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/05/2024	30/08/2024	04/09/2024	28/11/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1525/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MADHUKAR KUMAR**

S/O BAIDYANATH PD SINGH

Address- MADHAUL PS TURKI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR  
842001

Mob. No. 8989800000


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06GB1000 के परमिट संख्या 025/2015 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06GB1000	025/2015	20/11/2025	14/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/03/2024	15/09/2024	27/09/2024	14/12/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1526/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KR THAKUR**

S/O LT RAM SAROVAR THAKUR

Address- AT- IMLICHATTI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 842001

Mob. No. 8507416459


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PA3051** के परमिट संख्या **0708/2010** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA3051	0708/2010	21/08/2025	05/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/05/2024	11/04/2024	03/11/2024	27/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1527/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SATENDRA KUMAR**

LATE RAM PD RAY

Address- SEKHPUR, AKHARAGHAT AHYAPUR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8386188041


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06P8320** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0619A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P8320	BR2020-SC-0619A	21/12/2025	24/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/03/2024	21/06/2024	16/06/2024	19/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1528/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**JITENDRA KR SINGH**

S/O RAMANARESH SINGH

Address- ADD CHINTAMANPUR CHINTAMANPUR PURVI CHAMPARAN  
BIHAR 0

Mob. No. 9431288788


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC6753 के परमिट संख्या BR2023-SC-1498A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC6753	BR2023-SC-1498A	21/05/2028	12/01/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/02/2024	01/02/2025	07/06/2024	03/01/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1529/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**JYOTI MISHRA**

W/O INDRAJIT KUMAR MISHRA

Address- RASULAPUR JILANI MUSHARI MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9661075002


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD8869** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1497A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8869	BR2023-SC-1497A	21/05/2028	17/08/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	30/12/2024	16/08/2024	06/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1530/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAJAN SINGH**

BACCHA SINGH

Address- CHHAWAHI KHAS KHAS GOPALGANJ GOPALGANJ BIHAR 841428

Mob. No. 9122421395


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31P1659** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1502A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P1659	BR2023-SC-1502A	21/05/2028	20/09/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/04/2024	02/03/2024	19/09/2024	27/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1531/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NITEN SHANKAR**

S/O UDAY SHANKAR PRASAD SINGH

Address- GOLA ROAD DANAPUR DANAPUR PATNA PATNA BIHAR 999999

Mob. No. 9854784894


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PC6702** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0083A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PC6702	BR2020-SC-0083A	22/01/2025	27/08/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12/03/2024	17/04/2024	08/10/2024	23/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1532/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAJESH KUMAR SINGH**

BALDEO SINGH

Address- ADD-MAHUA SINGH RAY MAHUA VAISHALI BIHAR 844122

Mob. No. 9835295010


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF1871** के परमिट संख्या **BR2021-SC-2802A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF1871	BR2021-SC-2802A	22/11/2026	11/08/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/04/2024	27/07/2024	22/06/2024	04/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1533 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMAN DEVI**

KAILASH MISHRA

Address- BHERIYAH I SOTI HARDASPUR KANTI MUZAFFARPUR BIHAR  
843109

Mob. No. 8579965811


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF9896 के परमिट संख्या BR2021-SC-2811A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF9896	BR2021-SC-2811A	22/11/2026	11/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/03/2024	08/03/2024	06/10/2024	03/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1534/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RENU MISHRA**

W/O DHARAMJEET MISHRA

Address- AT RASULPUR JILANI CHAKAR ROAD MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 7890000000


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD3969 के परमिट संख्या BR/106/SC/0026/2006 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD3969	BR/106/SC/0026/2006	23/02/2026	07/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/03/2024	29/02/2024	03/01/2025	27/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1535 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KUMAR JHA**

CHANDRIKA JHA

Address- AT&PO-MADHURAPUR PS-BIDUPUR VAISHALI BIHAR 844503

Mob. No. 9973666239


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR51P1452** के परमिट संख्या **BR2022-SC-0418A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR51P1452	BR2022-SC-0418A	23/02/2027	05/01/2026

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/03/2024	11/06/2024	17/07/2024	27/12/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1536/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AJIT SHARMA U/LA B S R T C**

ABDHESH KUMAR SHARMA

Address- WARD NO 07 KAUMA KAUMA SHEOHAR BIHAR 843325

Mob. No. 7250109927


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF1074** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0330A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF1074	BR2023-SC-0330A	23/01/2028	28/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/05/2024	27/02/2024	04/12/2023	27/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1537/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## RAI AUTOMOBILES

S/O -PROP MR SAHDEV RAY

Address- AT-RAMASHISH CHOWK PS-HAJIPUR VAISHALI VAISHALI BIHAR  
999999

Mob. No. 8651578552


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA2355** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1529A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA2355	BR2023-SC-1529A	23/05/2028	08/01/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/05/2024	21/03/2024	19/06/2024	26/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1538/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PIYUSH RANJAN**

BINDALAL YADAV

Address- WARD NO 9 AGARPUR LALGANJ VAISHALI BIHAR 844121

Mob. No. 6203375510


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF3011** के परमिट संख्या **BR2022-SC-0913A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PF3011	BR2022-SC-0913A	24/04/2027	09/02/2026

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	30/01/2025	16/02/2025	06/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1539/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KR THAKUR**

S/O LT RAMSAROVAR THAKUR

Address- AT-IMLICHATTI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 999999

Mob. No. 8900000000


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PA2151** के परमिट संख्या **0713/2010** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA2151	0713/2010	24/08/2025	07/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/04/2024	12/03/2024	01/09/2024	27/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापक:- 1540 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KR THAKUR**

S/O LT RAMSAROVAR THAKUR

Address- AT-IMLICHATTI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 999999

Mob. No. 8900000000


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PA2151** के परमिट संख्या **0713/2010** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA2151	0713/2010	24/08/2025	07/06/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/04/2024	12/03/2024	01/09/2024	27/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1541/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMRENDRA TIWARY**

MATHURA TIWARY

Address- WARD NO 10 MAJHAULI DHARMDAS SERPUR MIC MUSAHRI  
MUZAFFARPUR BIHAR 842005

Mob. No. 9801074466


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE2768** के परमिट संख्या **0001/2016** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE2768	0001/2016	24/01/2026	28/04/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/04/2024	14/06/2024	02/02/2025	18/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1542/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BUIDCO**

NA

Address- AT BIRCHAND PATEL PATH PARIWAHAN BHAWAN PATNA  
PATNA BIHAR 800001

Mob. No. 7766865601


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PH4312** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0346A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH4312	BR2023-SC-0346A	24/01/2028	26/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	13/03/2024	05/07/2024	02/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1543 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAVINDRA NATH CHAUBEY**

S/O -BISHNU CHAUBEY

Address- AT-ARERAJ GOVINDGANJ MOTIHARI MOTIHARI PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 9673915116


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA1601 के परमिट संख्या BR2021-SC-0691A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA1601	BR2021-SC-0691A	24/03/2026	11/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2024	12/10/2023	13/06/2024	04/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1544/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMRENDRA TIWARY**

LATE MATHURA TIWARY

Address- MAJHAULI SHERPUR SADAR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9955410359


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD6768** के परमिट संख्या **43191** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD6768	43191	24/10/2028	14/02/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07/05/2024	15/02/2025	03/08/2024	25/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1545/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MRITUNJAY SHARAN THAKUR**

LT.SHIV GOVIND SHARAN THAKUR

Address- MUSAHARI KACHCHISARAI NEAR PANDIT BHAVAN  
MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 9931793369


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31AH7107** के परमिट संख्या **00552/2013** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31AH7107	00552/2013	24/10/2028	14/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/05/2024	09/06/2024	06/02/2025	12/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1546/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NAMITA KUMARI U/L BSRTC**

SATISH KUMAR

Address- ADD- CHANDRASHEKHAR BHAWAN WARD NO 48, P N T ROAD  
MITHANPURA MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 9931474351


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF6751 के परमिट संख्या BR2021-SC-1881A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF6751	BR2021-SC-1881A	25/08/2026	29/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/06/2024	28/03/2024	29/03/2024	09/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1547/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ARUN KUMAR MISHRA**

LT INDRA DEO MISHRA

Address- AT-PRABHAT NAGAR COLONY ROAD NO 1 BHAGWANPUR PS  
SADAR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9801210606


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE7776 के परमिट संख्या BR2021-SC-0348A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7776	BR2021-SC-0348A	25/02/2026	14/02/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/05/2024	12/02/2025	12/02/2025	10/01/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1548/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAKESH KUMAR MISHRA**

S/O LT INDRADEO MISHRA

Address- AT BALHA PO THARMA PS GAYGHAT MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 843117

Mob. No. 9835208980


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PB1497** के परमिट संख्या **344/2013** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB1497	344/2013	25/07/2028	28/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/02/2024	01/11/2023	06/11/2024	25/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1549/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NIBHA THAKUR**

W/O VIJAY KR THAKUR

Address- AT IMELICHATTI PS BRAHMPURA MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9131417651


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC3952** के परमिट संख्या **14/2018** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC3952	14/2018	25/10/2028	04/10/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2024	03/07/2024	01/09/2024	23/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1550 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**TEJ NARAYAN SAH**

S/O SATAHU SAH

Address- AT-49 BASAHTYA SHAIKH PIPARHI BASAHTYA SHEOHAR  
SHEOHAR BIHAR 842001

Mob. No. 9431012880


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD1092** के परमिट संख्या **17/2018** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD1092	17/2018	25/10/2028	12/09/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/05/2024	11/02/2024	09/02/2024	10/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1551/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## GUPTA TRANSPORT

N/A USER RAGVENDRA SHARMA

Address- AT UMA MARKET MOTIJEEL PO PS TOWN MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9309835025


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC8651** के परमिट संख्या **BR/106/SC/369/2010** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8651	BR/106/SC/369/2010	26/04/2025	21/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2024	18/06/2024	20/09/2024	24/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1552/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIKASH KUMAR**

JALANDHAR SINGH

Address- BISAULI BATRAULIA BAKHRA MUZAFFARPUR BIHAR 843101

Mob. No. 9525474566


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE6641** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/112** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE6641	BR/106/SC/B US/2019/112	26/12/2024	05/02/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/03/2024	03/12/2024	10/06/2024	05/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1553 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BRAJ BHUSHAN MISHRA**

S/O GIRIJA MISHRA

Address- AT- BHERIANHI SOHI. PS-KANTI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 999999

Mob. No. 9955029674


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA1989 के परमिट संख्या BR2021-SC-0071A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA1989	BR2021-SC-0071A	26/01/2026	04/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/04/2024	01/07/2024	16/02/2025	21/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1554/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MAHIP KUMAR**

SRI RAM NARAYAN SINGH

Address- MAHAMADPUR MDPUR BADAL DAMODAR SAKRA

MUZAFFARPUR BIHAR 843119

Mob. No. 9006581351


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE7411 के परमिट संख्या BR2021-SC-0708A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7411	BR2021-SC-0708A	26/03/2026	31/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/04/2024	03/01/2025	16/07/2024	06/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1555/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## SHEET BASANT TRANCORP PVT LTD

DIR SUMANTH SAURABH

Address- SHEET BASANT FUEL SERVICE NH 28 KANTI KASBA INFRONT OF MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8294619996


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE2396** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/2** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE2396	BR/106/SC/B US/2019/2	26/11/2024	25/02/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	26/01/2025	08/06/2024	10/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1556/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NARENDRA KUMAR SINGH U/LA B.S.R.T.C**

S/O RAM ANUGRAH SINGH

Address- CHANDMARI ROAD PATNA SADAR PATNA PATNA BIHAR 800001

Mob. No. 9431476758


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PF9222** के परमिट संख्या **BR2021-SC-2900A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PF9222	BR2021-SC-2900A	26/11/2026	20/09/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/05/2024	03/03/2024	19/07/2024	19/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1557/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SAKET BIHARI (U/LA B.S.R.T.C)**

LT RAM ANUGRAH SINGH

Address- CHANDMARI ROAD KANKARBAGH PATNA BIHAR 800020

Mob. No. 9430963832


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PK9622** के परमिट संख्या **BR2021-SC-2898A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PK9622	BR2021-SC-2898A	26/11/2026	08/10/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/03/2024	21/09/2024	22/02/2025	24/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1558/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**REENA DEVI**

JITENDRA KUMAR SINGH

Address- CHINTAMANPUR DAMODARPUR PURBA CHAMPARAN BIHAR  
845416

Mob. No. 9934897690


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB5540 के परमिट संख्या BR2021-SC-2897A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB5540	BR2021-SC-2897A	26/11/2026	24/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/10/2023	08/08/2023	15/08/2024	23/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1559/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANIKANTA DEVI ULA BSRTC**

W/O -DEVENDRA KUMAR SINGH

Address- AT-CHANDMARI ROAD NEAR-ANANDNATH SHIV MANDIR

KANKARBAGH DIST-PATNA BIHAR NALANDA BIHAR 800020

Mob. No. 9431222559


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR21Q9622 के परमिट संख्या BR2021-SC-2899A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR21Q9622	BR2021-SC-2899A	26/11/2026	05/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/10/2024	19/12/2024	15/12/2024	26/12/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1560 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SURESH KUMAR**

S/O LT INDRADEO MISHRA

Address- PRABHAT NAGAR COLONY PS SADAR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 7979769391


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC6651** के परमिट संख्या **008/2018** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC6651	008/2018	26/10/2028	12/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/04/2024	03/10/2024	08/09/2024	07/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1561/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**M/S ANAND TRAVELS**

I/C ANAND KUMAR SINGH

Address- DADAR KOLHUA AHYAPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9334904071


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8216 के परमिट संख्या BR//106/SC/486/2008 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8216	BR//106/SC/486/2008	26/10/2028	23/11/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/02/2024	22/11/2024	16/11/2024	08/01/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापक:- 1562 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SURESH KUMAR**

S/O- INDRADEO MISHRA

Address- PRABHAT NAGAR COLONY NEAR KABRASTHAN BHAGWANPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7004163274


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF5751** के परमिट संख्या **010/2018** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF5751	010/2018	26/10/2028	31/01/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/04/2024	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1563 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PANKESH RANJAN**

S/O PRADUMAN KUMAR MISHRA

Address- RASULPUR ZILANI CHAKKAR ROAD JAGDISH KUTIR MUSAHRI  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9939197500


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR31PA0666 के परमिट संख्या 028/2018 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA0666	028/2018	26/10/2028	19/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	25/08/2024	30/10/2024	13/11/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1564/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NUTAN JHA**

W/O VIJAY KUMAR JHA

Address- AT/PO-MADHURAPUR PS-BIDUPUR VAISHALI BIHAR 844503

Mob. No. 9973666239


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31PA7107** के परमिट संख्या **029/2018** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA7107	029/2018	26/10/2028	28/11/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07/03/2024	29/10/2024	17/08/2024	10/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1565 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**UDAY SHANKAR PRASAD SINGH**

S/O LT DHARMDEO PRASAD SINGH

Address- AT-SHERPUR MAJHAULI DHAREMDSA PO-SHERPUR  
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 9835696985


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31PA8643** के परमिट संख्या **43435** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA8643	43435	26/10/2028	29/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/03/2024	25/06/2024	08/10/2024	23/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1566/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**UDAY SHANKAR PD SINGH**

S/O LATE DHARAMDEO PD SINGH

Address- NEAR DURGA MANDIR SHERPUR MANJHAULI DHARAMDAS  
MUZAFFARPUR BIHAR 842005

Mob. No. 7490264643


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31PA8943** के परमिट संख्या **13/2018** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA8943	13/2018	26/10/2028	29/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07/03/2024	25/06/2024	13/04/2024	21/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1567/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAVINDRA YADAV**

S/O LALBACHAN YADAV

Address- VILL- VISHNPURA GOPALGANJ GOPALGANJ GOPALGANJ BIHAR  
999999

Mob. No. 6205797375


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA4597 के परमिट संख्या BR2021-SC-2090A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA4597	BR2021-SC-2090A	26/09/2026	18/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/03/2024	03/03/2024	31/05/2024	15/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1568/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ANAND PRAKASH**

BRAJMOHAN TIWARI

Address- ADD DHIRAN CHHAPRA R K ASHRAM MUZAFFARPUR BIHAR  
843116

Mob. No. 8579070755


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE5755** के परमिट संख्या **BR2021-SC-2083A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5755	BR2021-SC-2083A	26/09/2026	13/11/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/01/2024	17/06/2024	22/06/2024	10/11/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1569/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SAURAV SINGH**

ARVIND SINGH

Address- SAHWAJPUR BHIKHANPUR SHABBAZPUR SALEM  
MUZAFFARPUR BIHAR 842004

Mob. No. 7279029601


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE6423 के परमिट संख्या BR2021-SC-2082A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE6423	BR2021-SC-2082A	26/09/2026	11/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/03/2024	08/12/2024	08/01/2025	01/12/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1570/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRAKASH KUMAR**

LT RAJESHWAR PRASAD RAKESH

Address- AT-NARAYANPUR DERPURA PO- NARAYANPUR DERPURA PS-  
MANHAR VAISHALI BIHAR 844505

Mob. No. 7250785494


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR31PA4970 के परमिट संख्या BR2021-SC-2084A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA4970	BR2021-SC-2084A	26/09/2026	06/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/03/2024	06/10/2024	19/05/2024	28/11/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1571/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMAR JYOTI CARRIERS PVT LTD**

NA

Address- AT PANDEY PLAZA EXHIBITION ROAD PATNA PATNA BIHAR  
800001

Mob. No. 9334902252


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD6651 के परमिट संख्या BR2022-SC-0996A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD6651	BR2022-SC-0996A	27/04/2027	16/02/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/05/2024	19/01/2025	13/08/2024	15/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1572/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SARSWATI DEVI**

LATE RAMAKANT MISHRA

Address- BHERIYAH I SOTI KANTI MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. No. 8294619996


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06GB9896** के परमिट संख्या **BR/SC/106/188/2004** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06GB9896	BR/SC/106/188/2004	27/12/2024	12/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/05/2024	10/02/2025	08/06/2024	12/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1573 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PANKESH RANJAN**

PRADUMAN KUMAR MISHRA

Address- JAGDISH KUTIR RASALPUR ZILANI CHAKKAR RD MUSAHRI  
MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 9931083346


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE6966** के परमिट संख्या **0071/2013** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE6966	0071/2013	27/02/2028	11/01/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/04/2024	28/01/2025	05/02/2025	03/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1574/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**UDAY SHANKAR PRASAD SINGH**

S/O LT DHARMADEO PRASAD SINGH

Address- GOLA ROAD DANAPUR GOLA ROAD DANAPUR PATNA PATNA  
BIHAR 999999

Mob. No. 9199408533


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PC6700 के परमिट संख्या BR2021-SC-0084A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PC6700	BR2021-SC-0084A	27/01/2026	27/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12/03/2024	17/04/2024	05/10/2024	16/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1575/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NAMITA KUMARI U/L BSRTC**

SATISH KUMAR

Address- ADD-CHANDRASHEKHAR BHAWAN WARD NO 48 P N T ROAD  
MITHANPURA MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 9931474351


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF6551 के परमिट संख्या BR2022-SC-1239A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF6551	BR2022-SC-1239A	27/05/2027	29/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/06/2024	28/03/2024	29/03/2024	09/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1576/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MAHIP KUMAR U/L B S R TC**

S/O LT RAM NARAYAN SINGH

Address- AT MAHMADPUR DAMODAR PO MAHMADPUR BADAL PS SAKRA  
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9006581351


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD8611 के परमिट संख्या BR2022-SC-2540A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8611	BR2022-SC-2540A	27/11/2027	25/08/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/04/2024	18/10/2024	20/11/2024	28/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1577/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MR. SATYENDRA KUMAR**

S/O.-SATTAN RAY

Address- ADD.-JALALPUR ANRUDH VAISHALI BIHAR 844121

Mob. No. 9771745019


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF2967** के परमिट संख्या **BR2022-SC-2539A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2967	BR2022-SC-2539A	27/11/2027	02/02/2026

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/04/2024	26/01/2025	01/07/2024	25/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1578/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SURESH KUMAR**

LATE INDERDEV NARAYAN MISHRA

Address- PRABHAT NAGAR BHAGWANPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7488287099


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE7651** के परमिट संख्या **BR2021-SC-2469A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7651	BR2021-SC-2469A	27/10/2026	08/02/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/04/2024	05/01/2025	18/06/2024	06/02/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापक:- 1579/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**UDAY SHANKAR PD SINGH**

S/O DHARMDEV SINGH

Address- AT HNO 83 VILL MAJHOLI DHARMDAS PO SHERPUR  
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9470264643


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PB9743** के परमिट संख्या **00560/2013** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB9743	00560/2013	27/10/2028	29/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/04/2024	08/07/2024	05/10/2024	23/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1580 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PANKESH RANJAN**

PRADYUMAN KUMAR MISHRA

Address- RASULPUR ZILANI CHAKKAR ROAD HPO & KAZI  
MOHAMMADPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9470066666


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD6606** के परमिट संख्या **032/2018** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD6606	032/2018	27/10/2028	23/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/04/2024	07/01/2025	22/03/2024	02/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1581/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMRESH KUMAR**

RAGHO PRASAD SINGH

Address- CHANDPUR, ALAMPURA KUSAIRI BIDUPUR VAISHALI BIHAR  
844502

Mob. No. 7979753895


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR31PA4368 के परमिट संख्या 024/2018 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA4368	024/2018	27/10/2028	05/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/04/2024	12/02/2025	31/12/2024	26/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1582/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMRESH KUMAR**

LT RAGHAW PD SINGH

Address- CHANDPURA BIDUPUR VAISHALI BIHAR 844502

Mob. No. 9279318317


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31PA5781** के परमिट संख्या **026/2018** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA5781	026/2018	27/10/2028	27/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/04/2024	01/07/2024	31/12/2024	26/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1583 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NAVNITA KUMARI**

W/O PANKESH RANJAN

Address- JAGDISH KUTIR WARD NO 10 RASULPUR ZILANI MUSHARI  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7004781564


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31PA6066** के परमिट संख्या **033/2018** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA6066	033/2018	27/10/2028	19/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/05/2024	25/08/2024	30/10/2024	13/11/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1584/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KUMAR JHA**

S/O LT CHANDRIKA JHA

Address- AT/PO-MADHURAPUR PS-BIDUPUR VAISHALI BIHAR 844503

Mob. No. 9931793369


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31PA7307** के परमिट संख्या **048/2018** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA7307	048/2018	27/10/2028	28/11/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07/03/2024	22/12/2024	30/09/2024	10/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1585 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SAVITA DEVI**

W/O DEVGENDRA KUMAR

Address- AT- SHANTI NAGAR I T I DUMRA ROAD WARD NO- 09

SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. No. 7903934725


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR30P2421 के परमिट संख्या 0613/2010 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30P2421	0613/2010	28/07/2025	11/07/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/03/2024	12/08/2022	28/06/2024	11/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1586/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NIBHA THAKUR**

W/O VIJAY KUMAR THAKUR

Address- AT- IMLICHATTI .PS- BARHAMPURA MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 9431239951


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PA7552** के परमिट संख्या **BR/106/SC/409/2011** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA7552	BR/106/SC/409/2011	28/05/2026	30/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/03/2024	26/11/2024	26/11/2024	25/11/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1587/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRAMOD KUMAR SINGH U/LA BSRTC**

BHARAT BHUSHAN SINGH

Address- JHAKHARA PIPRA KOTHI PURBA CHAMPARAN BIHAR 845429

Mob. No. 9431288788


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF1649** के परमिट संख्या **BR2022-SC-1058A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF1649	BR2022-SC-1058A	29/04/2027	08/06/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/04/2024	18/04/2024	30/05/2024	08/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1588/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRAMOD KUMAR**

SATYA NARAYAN THAKUR

Address- AT-NAYA TOLA SPEAKAR CHOWK MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8789914739


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF8951** के परमिट संख्या **0205/2013** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF8951	0205/2013	29/06/2028	24/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/04/2024	29/06/2024	25/07/2024	24/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1589/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAM JATAN SINGH**

RAM LAKHAN SINGH

Address- WARD NO 1 KANCHANPUR RAHIMPUR BIDUPUR VAISHALI  
BIHAR 844502

Mob. No. 7979075486


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PC6102 के परमिट संख्या BR2021-SC-2916A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PC6102	BR2021-SC-2916A	29/11/2026	14/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/02/2024	24/02/2024	01/07/2024	17/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1590/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BSRTC**

NA

Address- NEW BYPASS ROAD NH 30 PATNA PATNA BIHAR 800001

Mob. No. 7079326300


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PH3539** के परमिट संख्या **BR2022-SC-2550A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH3539	BR2022-SC-2550A	29/11/2027	15/09/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/04/2024	13/03/2024	05/07/2023	03/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1591/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VED PRAKASH PANDEY**

S/O JANARDHAN PANDEY

Address- VILL PO TEJPURWA PANDEY TOLA PS MALAHI E CHAMPARAN  
PURBA CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. No. 8084667701


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC3707 के परमिट संख्या BR2023-SC-3066A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC3707	BR2023-SC-3066A	29/10/2028	01/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/04/2024	06/01/2025	04/07/2024	26/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1592 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ASHOK KUMAR THAKUR**

S/O -LAXMAN THAKUR

Address- AT-KANTI KASABA PO-PS-KANTI MUZAFFARPUR PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 9525353368


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR05PA8096** के परमिट संख्या **000178/2014** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA8096	000178/2014	29/09/2024	07/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/04/2024	13/09/2024	23/07/2024	30/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1593 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**KIRAN SHUKLA**

W/O LATE KAUSHLENDRA SHUKLA

Address- NAYA TOLA SPEAKAR CHOWK MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7488287099


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE0151** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0510A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE0151	BR2020-SC-0510A	29/09/2025	20/11/2024

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/04/2024	22/08/2024	02/10/2024	06/11/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1594 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SRI MAHIP KUMAR ULA/B S R T C**

SRI RAM NARAYAN SINGH

Address- AT+PO- MAHMADPUR BADAL PS-SAKRI MUZAFFARPUR BIHAR  
843119

Mob. No. 9006581351


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF1521 के परमिट संख्या BR2022-SC-0655A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF1521	BR2022-SC-0655A	30/03/2027	25/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/03/2024	22/03/2024	09/05/2024	10/05/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1595 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SMT. PUNAM KUMARI ULA/B S R T C**

W/O- MAHIP KUMAR

Address- AT- MAHMADPUR PO- MAHMADPUR BADAL DAMODAR PS-  
SAKRA MUZAFFARPUR BIHAR 843119

Mob. No. 9006581351


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF2111 के परमिट संख्या BR2022-SC-0654A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2111	BR2022-SC-0654A	30/03/2027	21/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/02/2024	12/02/2025	26/02/2024	08/02/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1596/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAJAN MISHRA**

S/O CHANDRA KISHOR MISHRA

Address- RAJA BAZAR MOTIHARI MOTIHARI PURBA CHAMPARAN BIHAR  
845401

Mob. No. 9431409793


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR05PA7593** के परमिट संख्या **569/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA7593	569/2019	30/09/2024	05/02/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/05/2024	02/03/2024	10/02/2025	28/01/2026

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1597/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MADHUKAR KUMAR**

S/O BAIDYANATH PD SINHA

Address- VILL- MADHAUL.PO- SUSTA MADHOPUR.PS- KUDHANI

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 7004703026


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA5001 के परमिट संख्या BR2020-SC-0513A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA5001	BR2020-SC-0513A	30/09/2025	20/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/03/2024	18/06/2024	16/11/2024	16/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1598/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMAR JYOTI CARRIERS PVT LTD**

M/S DIR AMARNATH PANDEY

Address- AT PO PS MOTIJHEEL MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9334902252


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC6151 के परमिट संख्या BR2020-SC-0001A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC6151	BR2020-SC-0001A	31/12/2024	01/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/05/2024	22/07/2024	13/08/2024	30/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1599/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**HRITIK KUMAR**

LATE VIJAY KUMAR

Address- SIDHESWAR NAGAR PATLIPUTRA PATNA PATNA BIHAR 800001

Mob. No. 9661945147


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PK6257** के परमिट संख्या **BR2024-SC-0011A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PK6257	BR2024-SC-0011A	31/12/2028	28/10/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/03/2024	12/10/2024	08/03/2024	09/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1600 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SOUNDARYA KUMAR**

RAVINDRA NATH CHOUBEY

Address- GOVINDGANJ NAWADA ARERAJ PURBA CHAMPARAN BIHAR  
845411

Mob. No. 9673915116


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR05PB0427** के परमिट संख्या **BR2024-SC-0013A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB0427	BR2024-SC-0013A	31/12/2028	20/03/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/05/2024	28/01/2025	17/03/2024	16/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1601/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SOUNDARYA KUMAR**

S/O RAVINDRA NATH CHOUBEY

Address- GOVINDGANJ NAWADA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845411

Mob. No. 9673915116


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PB0794** के परमिट संख्या **BR2024-SC-0014A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB0794	BR2024-SC-0014A	31/12/2028	20/03/2025

टेक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/03/2024	05/07/2024	08/06/2024	16/03/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1602 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUNIL KUMAR CHAUBEY**

VISHNU CHAUBEY

Address- ADD WARD NO 03 NEAR POKHARA GOBIND GANJ MANANPUR  
ARERAJ PURBA CHAMPARAN BIHAR 845411

Mob. No. 9673915116


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB5771 के परमिट संख्या BR2024-SC-0012A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB5771	BR2024-SC-0012A	31/12/2028	20/11/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	05/11/2024	31/05/2024	11/09/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1603 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRABHA MISHRA**

W/O - LT RANJEET KUMAR MISHRA

Address- AT- RUSULPUR JILANI PS- KAZIMOHAMMADPUR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 9334913666


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PA3155** के परमिट संख्या **BR/106/SC/633/2008** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA3155	BR/106/SC/633/2008	31/12/2028	27/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	17/08/2024	16/08/2024	21/08/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1604/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MADAN MOHAN SHARMA**

S/O LT BHUVNESHWAR SHARMA

Address- AT PO PS RUNNISAIDPUR SITAMARHI SITAMARHI SITAMARHI  
BIHAR 845405

Mob. No. 9934670554


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC2561 के परमिट संख्या BR2024-SC-0003A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC2561	BR2024-SC-0003A	31/12/2028	09/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	25/06/2024	24/06/2024	19/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1605/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ASHOK KUMAR YADAV**

JAYKUMAR RAY

Address- WARD NO 05 BARDIHA TURKI BARDIHA TURKI VAISHALI BIHAR  
843110

Mob. No. 9576496377


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF9012** के परमिट संख्या **BR2024-SC-0008A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF9012	BR2024-SC-0008A	31/12/2028	29/09/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/03/2024	29/09/2024	29/09/2024	04/10/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1606/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VINOD KUMAR**

S/O CHHOTE LAL CHAUDHARY

Address- VILL DADHUA ANCHAL PATEPUR VAISHALI VAISHALI BIHAR  
844111

Mob. No. 9525474566


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PB2043 के परमिट संख्या BR2023-SC-2184A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB2043	BR2023-SC-2184A	31/07/2028	06/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/03/2024	06/07/2024	24/11/2024	06/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1607/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## GUPTA TRANSPORT

M/S PAT BALENDRA RAI

Address- PROP AMAR PANDEY AT EXHIBITION ROAD PATNA PATNA

BIHAR 999999

Mob. No. 9334902252


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC2151 के परमिट संख्या BR2023-SC-2178A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC2151	BR2023-SC-2178A	31/07/2028	08/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/03/2024	18/06/2024	13/08/2024	30/04/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1608/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIKASH KUMAR**

JALANDHAR SINGH

Address- BATRAULIYA BAKHRA SARAIYA MUZAFFARPUR BIHAR 843101

Mob. No. 9525474566


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE6437** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2180A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE6437	BR2023-SC-2180A	31/07/2028	12/12/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	06/07/2024	05/06/2024	21/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1609/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RHDC(OPC) PRIVATE LTD.**

NA

Address- C/O HARI MOHAN KUMAR ADD-WARD NO 11 TOWN/VILL-  
SINGIYAH ROAD ANCHAL-PUPRI SITAMARHI BIHAR 843320

Mob. No. 8866777011


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF4721 के परमिट संख्या BR2023-SC-2188A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF4721	BR2023-SC-2188A	31/07/2028	28/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/04/2024	04/11/2024	23/10/2024	06/11/2024

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1610/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMIT KUMAR**

JITENDRA KUMAR MISHRA

Address- JAGDISHPUR BHAGHNAGARI JAGDISHPUR BHAGHNAGARI  
MUZAFFARPUR BIHAR 843139

Mob. No. 9709543297


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA4751 के परमिट संख्या BR2023-SC-2190A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA4751	BR2023-SC-2190A	31/07/2028	21/05/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	05/06/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1611/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**DILIP THAKUR**

S/O -LT RAM DAS THAKUR

Address- AT-POJHIYA WARD NO-17 PO-PS-LALGANJ VAISHALI VAISHALI  
BIHAR 844101

Mob. No. 9939241968


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR31PA2070 के परमिट संख्या BR2023-SC-2179A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA2070	BR2023-SC-2179A	31/07/2028	08/09/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/06/2024	07/09/2024	28/12/2024	24/07/2025

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1612/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MENKA SHARMA (U/LA B.S.R.T.C.)**

W/O AJAY KUMAR SHARMA

Address- WARD NO 11 RAJPOTTI CHAKMAHILA CHAKMAHILA BRANCH  
POST OFFICE CHAKMAHILA DUMRA TLK SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. No. 8789040211


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA4481 के परमिट संख्या BR2023-SC-1600A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA4481	BR2023-SC-1600A	01/06/2028	03/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/05/2024	01/05/2024	08/04/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1613/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AJAY KUMAR**

DHARIKSHAN RAY

Address- DHARAMPUR DHARAMPUR MUZAFFARPUR BIHAR 843117

Mob. No. 8521986961


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE7270** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0676A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7270	BR2023-SC-0676A	01/03/2028	12/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	12/06/2024	09/06/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1614/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SHASHIKANT TIWARI**

NAWAL KISHOR TIWARI

Address- ADD JITWARPUR PIPRA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845419

Mob. No. 7385061390


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF2497** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0689A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2497	BR2023-SC-0689A	01/03/2028	16/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/11/2023	01/11/2023	30/12/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1615/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ABINASH KUMAR**

LATE SACHIDA NAND PRASAD SINGH

Address- VILL-POST-CHANDPURA VIA BIDUPUR PS-BIDUPUR VAISHALI  
BIHAR 844502

Mob. No. 9279318317


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PL4469 के परमिट संख्या BR2023-SC-0421A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL4469	BR2023-SC-0421A	02/02/2028	11/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12/03/2024	06/04/2024	04/01/2025	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1616/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRASHANT KUMAR**

BHAGAVAN RAY

Address- AT+PO-SAHDULLAHPUR PS-GANGA BRIGZG VAISHALI BIHAR  
844101

Mob. No. 9771044409


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR51P1550** के परमिट संख्या **BR2022-SC-1260A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR51P1550	BR2022-SC-1260A	02/06/2027	06/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/03/2024	23/02/2025	05/04/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1617/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRAMOD KUMAR SINGH**

BHARAT BHUSHAN SINGH

Address- AT- JHAKHARA JHAKHARA PIPRA PURBA CHAMPARAN BIHAR  
845429

Mob. No. 9431288788


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB6156 के परमिट संख्या BR2023-SC-0707A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB6156	BR2023-SC-0707A	02/03/2028	24/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/04/2024	30/05/2024	03/08/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1618/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAM DINESH SINGH**

S/O LATE CHANDESHWAR SINGH

Address- VILL PO CHAHUTA PS AAURAI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 842001

Mob. No. 9525474566


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8743 के परमिट संख्या BR2023-SC-0709A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8743	BR2023-SC-0709A	02/03/2028	14/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/05/2024	21/11/2023	19/06/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1619/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIKASH KR SINGH**

S/O JALANDHAR SINGH

Address- VILL BATRAULIYA PO BAKHRA PS SARAIYA MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 9525474566


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8752 के परमिट संख्या BR2023-SC-0710A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8752	BR2023-SC-0710A	02/03/2028	14/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/05/2024	16/06/2024	21/06/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1620 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PREM KUMAR CHOUDHARY**

RAMANAND CHOUDHARY

Address- BADHAI TOLA PURANI MAI ASTHAN MARIPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 842001

Mob. No. 9334900106


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8052 के परमिट संख्या BR2023-SC-0706A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8052	BR2023-SC-0706A	02/03/2028	29/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/02/2024	24/03/2024	05/09/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1621/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMAR JYOTI CARIERS PVT LTD**

NA

Address- UMA MARKET MOTIJHEEL MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 842002

Mob. No. 9334907061


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF4351 के परमिट संख्या BR2021-SC-2604A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF4351	BR2021-SC-2604A	02/11/2026	05/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/05/2024	21/04/2024	29/04/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1622 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VISHWAJIT MISHRA**

RANJEET KUMAR MISHRA

Address- WARD NO 10 RASULPUR JILANI NEAR KIDZEE SCHOOL

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 800001

Mob. No. 9708186777


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD0039 के परमिट संख्या BR2023-SC-3148A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD0039	BR2023-SC-3148A	02/11/2028	28/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/04/2024	31/08/2024	05/09/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1623 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ALOK KUMAR PANDEY**

S/O -RAMEKBAL PANDEY

Address- AT-PAKDI DUMARIYA DIST-EAST CHAMPARAN MOTIHARI  
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845423

Mob. No. 7301285252


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA3844 के परमिट संख्या BR2021-SC-0150A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA3844	BR2021-SC-0150A	03/02/2026	06/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/03/2024	22/02/2025	12/08/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1624/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SHATRUDAN THAUR**

LT.RAMASHISH THAKUR

Address- MADHAUL KUDHANI MUZAARPUR MUZAFFARPUR BIHAR  
999999

Mob. No. 8510000000


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06P4140** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0011A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4140	BR2020-SC-0011A	03/01/2025	23/11/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/04/2024	02/01/2021	09/08/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1625/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**CHANRA BHUSHAN SINGH**

S/O -LT. BALRAM SINGH

Address- RAJIV KUMAR AT-BELBAGH PO/PS-BETTIAH BETTIAH  
PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. No. 7261090094


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR22M7071** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0010A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22M7071	BR2020-SC-0010A	03/01/2025	11/05/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/02/2024	09/05/2023	21/05/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1626/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NILU KUMARI**

W/O KAUSHAL KISHOR TRIPATHY

Address- DAMUCHOWK MUSAHRI MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9905879945


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD8691** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0740A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8691	BR2023-SC-0740A	03/03/2028	28/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/01/2024	11/05/2024	17/07/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1627/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**DEVENDRA KUMAR**

S/O DHRUR NATH PRASAD

Address- AKHILESH VERMA GALI BANK ROAD MOTIHARI BHAWANIPUR  
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 9162658598


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9826 के परमिट संख्या BR2023-SC-0746A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9826	BR2023-SC-0746A	03/03/2028	06/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/03/2024	10/10/2024	07/12/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1628/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VISHUTI NARAYAN RAY**

S/O RAJDEO RAY

Address- DAKSHIN TELHUA WARD NO 8 TELUA PASHCHIM CHAMPARAN  
BIHAR 845459

Mob. No. 7004703026


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR22PA1131 के परमिट संख्या BR2023-SC-0766A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22PA1131	BR2023-SC-0766A	03/03/2028	02/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/02/2024	29/01/2025	05/02/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1629/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RITI KUMARI**

W/O SUDHANSHU KUMAR

Address- AT VILL PO SARAI SAYED ALI LANE MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 0


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PB7075** के परमिट संख्या **258/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB7075	258/2019	03/09/2024	07/06/2017

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/07/2017	21/04/2019	13/03/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1630/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RITI KUMARI**

W/O -SUDHANSHU KUMAR

Address- VILL/PO-SARAI SAYED ALI LANE MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 0


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR55A5575** के परमिट संख्या **259/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR55A5575	259/2019	03/09/2024	24/05/2017

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/09/2017	04/04/2016	13/03/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1631/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RITU SHAMRA**

RANVEER KUMAR

Address- MADHAUL PO SUSTA MADHOPUR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 9835247340


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF2740** के परमिट संख्या **BR2021-SC-0483A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2740	BR2021-SC-0483A	04/03/2026	31/01/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/05/2024	14/01/2022	15/01/2025	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1632/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MAHIP KUMAR**

LT RAM NARAYAN SINGH

Address- AT-MAHAMDPUR PO-MAHAMDPUR PS-DAMODAR SAKRA  
MUZAFFARPUR BIHAR 801245

Mob. No. 9006581351


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD9311** के परमिट संख्या **561/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9311	561/2019	04/11/2024	06/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	30/07/2024	01/05/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1633 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SAKET BIHARI**

S/O LATE RAM ANUGRAH SINGH

Address- AT KANKARBAGH PS CHANDMARI ROAD PATNA PATNA BIHAR  
999999

Mob. No. 7143546478


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PH9422** के परमिट संख्या **0312/2014** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH9422	0312/2014	05/11/2024	25/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/04/2024	27/02/2024	20/12/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1634/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KR SHUKLA**

S/O RAMDAS SHUKLA

Address- KHANJAHAN CHAK KHANJAHAN CHAK URF SAIDVPUR

LALGANJ VAISHALI BIHAR 844121

Mob. No. 9470000001


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD8651** के परमिट संख्या **295/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8651	295/2019	05/09/2024	19/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/04/2024	18/02/2025	14/12/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1635/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MUKESH SHARMA**

LATE RAMBRIKSH RAY

Address- KHABRA SADAR MUZAFFARPUR BIHAR 843146

Mob. No. 9955410359


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE5268** के परमिट संख्या **266/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5268	266/2019	05/09/2024	14/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/03/2024	17/01/2024	03/08/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1636/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**USHA KUMARI**

LT SUDHIR CHANDRA MISHRA

Address- AT-MADHURAPUR PO-MADHURAPUR VAISHALI VAISHALI  
BIHAR 803236

Mob. No. 9661732343


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR31AD9107** के परमिट संख्या **280/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31AD9107	280/2019	05/09/2024	16/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/03/2024		15/12/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1637/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**KANCHAN KUMARI**

DHIRAJ KUMAR

Address- WARD NO 20 BHAWANIPUR ZIRAT MOTIHARI PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 7004703026


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF3435 के परमिट संख्या BR2023-SC-2514A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF3435	BR2023-SC-2514A	05/09/2028	15/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/03/2024	27/03/2024	22/07/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1638/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MENKA SHARMA (U/LA B.S.R.T.C.)**

W/O AJAY KUMAR SHARMA

Address- WARD NO 11 RAJPOTTI CHAKMAHILA CHAKMAHILA BRANCH

POST OFFICE CHAKMAHILA DUMRA TLK SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. No. 8789040211


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA4482 के परमिट संख्या BR2023-SC-2528A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA4482	BR2023-SC-2528A	05/09/2028	03/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/05/2024	01/05/2024	09/05/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1639/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NISHANT CHANDRA**

S/O- LATE DHARMENDRA PRASAD

Address- AT- KOLHACHAK DHANARUA SAIN PATNA BIHAR 804451

Mob. No. 7004799500


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PN8951** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2230A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PN8951	BR2023-SC-2230A	06/08/2028	02/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/10/2023	14/02/2024	15/03/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1640 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RENU SHARMA (U/L.A BSRTC)**

W/O AWDESH KUMAR SHARMA

Address- VILL PO KUAMA VIA PARSUNI SHEOBH BIHAR SHEOHAR  
BIHAR 313603

Mob. No. 7301822348


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA3391 के परमिट संख्या BR2022-SC-0042A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA3391	BR2022-SC-0042A	06/01/2027	02/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/03/2024	22/02/2025	30/10/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1641/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**CHANDRA BHUSHAN SHARMA**

S/O RAM MANOHAR PANDAY

Address- C/O BIJAY KUMAR JHA D-92, PC COLONY, KANKARBAGH PATNA  
PATNA BIHAR 999999

Mob. No. 9162857219


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PA7543** के परमिट संख्या **308/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PA7543	308/2019	06/09/2024	12/03/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/03/2024	28/02/2022	21/08/2022	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1642/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KR SHUKLA**

S/O LT RAM DAS SHUKLA

Address- AT NAYA TOLA SPEAKAR CHOWK PO HPO PS KAZIMDPUR  
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9470000001


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC9451 के परमिट संख्या 014/2019 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC9451	014/2019	07/04/2024	06/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/05/2024	29/01/2024	11/10/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1643/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRANAY KR THAKUR**

S/O KRISHNA NANDAN THAKUR

Address- AT SAHWAZPUR PO BHIKANPUR PS AHIYAPUR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 8989000000


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC9601** के परमिट संख्या **002/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC9601	002/2019	07/04/2024	01/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/02/2024	11/12/2024	15/12/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1644/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AASLAISHA**

W/O NISHANT KUNAL

Address- RAJIV NAGAR RD NO 23 PO- KESARI NAGAR PS DIGHA PATNA  
PATNA BIHAR 999999

Mob. No. 8935859006


**विषय:- आपके वाहन संख्या JH05AH3859 के परमिट संख्या 070/2019 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
JH05AH3859	070/2019	07/04/2024	22/06/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/02/2024	31/05/2024	16/06/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1645/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MR VIBHUTI NARAYAN RAI**

LATE RAJDEO RAI

Address- TELHUA WARD 8 TELHUA MUZAFFARPUR BIHAR 845459

Mob. No. 7004703026


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF2079** के परमिट संख्या **BR2022-SC-0286A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2079	BR2022-SC-0286A	07/02/2027	27/08/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/09/2023	17/06/2024	04/11/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1646/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BINAY KUMAR**

S/O LATE DEO NANDAN PRASAD SINHA

Address- AT 64E RAJENDRA NAGAR PATNA PATNA BIHAR 999999

Mob. No. 8898989000


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD4221** के परमिट संख्या **317/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD4221	317/2019	07/09/2024	11/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/07/2024	15/09/2024	07/07/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1647/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BINAY KUMAR**

S/O LATE DEO NANDAN PRASAD SINHA

Address- AT 64E RAJENDRA NAGAR PATNA PATNA BIHAR 999999

Mob. No. 8989890000


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD4321** के परमिट संख्या **316/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD4321	316/2019	07/09/2024	11/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/07/2024	15/09/2024	26/08/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1648/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SHATRUGHAN THAKUR**

S/O RAM ASHISH THAKUR

Address- MADHAUL MADHOPUR SUSTA KURHANI MUZAFFARPUR BIHAR  
842002

Mob. No. 9835247340


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA5240** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/14** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA5240	BR/106/SC/BUS/2019/14	08/12/2024	07/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2024	05/10/2024	06/03/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1649/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## SHEET BASANT TRANSPORT PVT LTD

SUMANTH SAURABH

Address- BHERIYAHISOTI HARDASPUR MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. No. 8294619996


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PH5670** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0076A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH5670	BR2023-SC-0076A	08/01/2028	16/01/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	26/03/2024	30/06/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1650/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## SHEET BASANT TRANCORP PVT LTD

NA

Address- MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8294619996


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF6096** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0077A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF6096	BR2023-SC-0077A	08/01/2028	15/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/04/2024	07/04/2024	17/10/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1651/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAM BABU RAI**

RAM NARESH RAI

Address- GURDA GAUSNAGAR RUNNISAIDPUR SITAMARHI SITAMARHI  
BIHAR 844520

Mob. No. 8421986961


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3861** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0257A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3861	BR2020-SC-0257A	08/03/2025	24/12/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/11/2023	07/10/2023	07/02/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1652/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## M/S BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

NA

Address- PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND PATEL PATH PATNA  
BIHAR 800001

Mob. No. 9111111111


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PL7527** के परमिट संख्या **BR2021-SC-0542A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL7527	BR2021-SC-0542A	08/03/2026	24/01/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/04/2024	10/01/2022	26/06/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1653 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

## BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

NA

Address- PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND PATEL PATH PATNA

BIHAR 800001

Mob. No. 9111111111


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PL8616** के परमिट संख्या **BR2021-SC-0543A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL8616	BR2021-SC-0543A	08/03/2026	19/02/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/04/2024	14/01/2022	24/08/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1654/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUCHITA CHAUDHARY**

RADHE SHYAM CHAUDHARY

Address- URMILA APPT F NO 103 ROAD NO 2 RAJ BANSI NAGAR PATNA  
BIHAR 800023

Mob. No. 9334382795


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PJ9595 के परमिट संख्या BR2020-SC-0146A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PJ9595	BR2020-SC-0146A	09/02/2025	15/10/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/05/2022	09/02/2023	20/06/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1655/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**KAMAL KISHOR**

S/O BINDA MISHRA

Address- AT - PO MADHOUL PS TURKI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 800002

Mob. No. 9525474566


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD5693 के परमिट संख्या BR2023-SC-0125A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD5693	BR2023-SC-0125A	09/01/2028	08/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/05/2024	17/05/2024	14/11/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1656/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ASHWINI RAI**

VIBHUTINARAYAN RAI

Address- 08 TELUA NAUTAN PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845459

Mob. No. 8319137586


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR28P2658** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0160A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28P2658	BR2023-SC-0160A	09/01/2028	21/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/11/2023	12/10/2023	14/12/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1657/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMUKH SAURABH**

KAILASH MISHRA

Address- ALKAPURI, BHAGWANPUR SADAR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 8294619996


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5796** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/37** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P5796	BR/106/SC/B US/2019/37	10/12/2024	17/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/03/2024	10/10/2024	26/06/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1658/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**JITENDRA SHARMA**

S/O CHANDRA BHUSHAN SHARMA

Address- AT LEECHI BAGAN PO KALAM BAGH ROAD MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9431007414


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC5066** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/42** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC5066	BR/106/SC/BUS/2019/42	10/12/2024	20/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/02/2024	14/05/2024	03/09/2022	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1659/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NIDHI KUMARI**

D/O LATE C B SINGH

Address- AT FRASER ROAD PATNA PATNA BIHAR 999999

Mob. No. 9973221143


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD4057** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0174A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD4057	BR2023-SC-0174A	10/01/2028	17/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	27/11/2024	23/11/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1660/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**GODAWARI DEVI**

W/O RAGHWESH KUMAR

Address- 101 BRAHMPURA ANCHAL MUSHAHARI MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 9933212221


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC3871** के परमिट संख्या **132/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC3871	132/2019	11/04/2024	19/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12/04/2024	15/12/2022	28/12/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1661/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMAR JYOTI TRAVELS**

NA

Address- UMA MARKET MOTIJHEEL MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 842002

Mob. No. 9334907061


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF4151 के परमिट संख्या 133/2019 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF4151	133/2019	11/04/2024	05/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/05/2024	03/05/2024	29/04/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1662 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ KUMAR YADAV**

S/O LT CHANDESHWAR RAI

Address- AT BIBIGANJ BHAGWANPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 842003

Mob. No. 7007038087


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8121 के परमिट संख्या BR2022-SC-1110A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8121	BR2022-SC-1110A	11/05/2027	09/08/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/07/2023	15/02/2023	15/08/2022	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1663/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIKASH RANJAN**

BIRENDRA PRASAD YADAV

Address- AGARPUR LALGANJ VAISHALI BIHAR 844121

Mob. No. 7992461218


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF3534** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1430A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF3534	BR2023-SC-1430A	11/05/2028	04/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/04/2024	26/04/2024	27/07/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1664/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**GOPAL KUMAR GOENKA**

LT LARAM GOENKA

Address- AT TATIYA COLONY WARD NO 19 PS NAGAR THANA  
SAMASTIPUR BIHAR 848101

Mob. No. 6203375510


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF7243 के परमिट संख्या BR2023-SC-2590A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF7243	BR2023-SC-2590A	11/09/2028	02/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/03/2024	07/07/2024	07/11/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1665 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAM DINESH SINGH**

CHANDESHWAR SINGH

Address- WARD NO 10 CHIHUTA MUZAFFARPUR BIHAR 843312

Mob. No. 9525474566


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE4962** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/51** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4962	BR/106/SC/B US/2019/51	12/12/2024	14/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/03/2024	09/03/2024	10/06/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1666/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIKASH KUMAR**

JALANDHAR SINGH

Address- BATRAULIA BISAULI BAKHRA SARAIYA MUZAFFARPUR BIHAR  
843101

Mob. No. 9525474566


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE5793** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/49** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5793	BR/106/SC/B US/2019/49	12/12/2024	14/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/05/2024	13/12/2024	17/01/2025	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1667/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAJESH KUMAR SINGH**

BALDEO SINGH

Address- MAHUA SINGH RAY MAHUA VAISHALI BIHAR 844122

Mob. No. 9835295010


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE8434** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0590A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8434	BR2020-SC-0590A	13/12/2025	15/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/03/2024	02/05/2023	09/03/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1668/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUMUKH SAURABH**

S/O KAILASH MISHRA

Address- BHERIYAH I SOTI BHERIAHI MUSAHRI MUZAFFARPUR BIHAR  
843109

Mob. No. 6206193096


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD7296 के परमिट संख्या BR2022-SC-0139A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7296	BR2022-SC-0139A	13/01/2027	27/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/06/2024	13/12/2024	30/01/2025	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1669/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**NANDAN KUMAR DUBEY**

BINAY SHANKAR DUBEY

Address- TARWARA MORE SIWAN BIHAR 802010

Mob. No. 8809454002


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR29PA6085** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0232A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29PA6085	BR2023-SC-0232A	13/01/2028	28/09/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/05/2023	01/05/2024	15/05/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1670/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SHIVAM KUMAR**

PARASNATH CHAUDHARY

Address- ADD DADHUA PO SUKKI PS PATEPUR VAISHALI BIHAR 843114

Mob. No. 9525474566


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE4604** के परमिट संख्या **BR2023-SC-2064A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4604	BR2023-SC-2064A	13/07/2028	11/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	01/02/2024	03/11/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1671/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SANJAY KUMAR SINGH**

S/O -BHAVAN SINGH

Address- AT-RAJA BAZAR PO/PS-MOTIHARI DIST-EAST CHAMPARAN  
MOTIHARI PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 9431409793


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05P5493 के परमिट संख्या 0236/2019 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P5493	0236/2019	13/06/2024	22/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/03/2024	02/03/2023	15/11/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1672/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SMT. SARASWATI DEVI**

W/O - RAMAKANT MISHRA

Address- AT- SOTI BHERIYAH I PO-HARIDSPUR PS-KANTI MUZAFFARPUR  
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 9525353368


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA9396 के परमिट संख्या BR/106/SC/10/2015 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA9396	BR/106/SC/10/2015	13/11/2025	10/01/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/05/2024	08/02/2025	19/05/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1673 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAM BHAWAN PRASAD**

TRIPIT NARAYAN SINGH

Address- HOUSE NO-51 SANDA KOLHACHAWK BHERGAWAN HAZRAT  
SAIN PATNA BIHAR 804451

Mob. No. 9931231697


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PJ4759** के परमिट संख्या **457/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PJ4759	457/2019	13/09/2024	07/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/04/2024	19/06/2024	10/11/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1674/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AWADHESH KUMAR TIWARI U/LA BSRTC**

SHREE KANT TIWARI

Address- CHADARAHIYA ARERAJ PURBA CHAMPARAN BIHAR 845411

Mob. No. 8709372551


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE8241** के परमिट संख्या **BR2022-SC-2433A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8241	BR2022-SC-2433A	14/11/2027	06/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/02/2024	26/11/2024	14/11/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1675/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ANAND PRAKASH**

S/O BRAJ MOHAN TIWARI

Address- AT DHIRAN CHHAPARA ANCHAL MUSHARI MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 7890000000


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD2855** के परमिट संख्या **186/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD2855	186/2019	15/04/2024	08/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/02/2024	06/09/2024	01/03/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1676/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SAVITRI MISHRA**

UDAY KUMAR MISHRA

Address- RASULPUR ZILANI KAZIMOHMADPUR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9661220913


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06P8209** के परमिट संख्या **BR2021-SC-1760A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P8209	BR2021-SC-1760A	15/08/2026	18/09/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/03/2024	21/12/2022	21/07/2022	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1677/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BARUN PRAKASH PANDEY**

S/O AJAY PANDEY

Address- AT-SHYAM PUR PS-ADAPUR MOTIHARI PURBA CHAMPARAN  
BIHAR 845401

Mob. No. 7004230596


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PA9596** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/68** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA9596	BR/106/SC/B US/2019/68	15/12/2024	20/12/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/03/2024	10/10/2022	08/06/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1678/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MAHIP KUMAR**

S/O- RAMNARAYAN SINGH

Address- AT- MOHAMMADPUR DAMODAR M.BADAL DHOLI(MORAU)  
MUZAFFARPUR BIHAR 843114

Mob. No. 9006581351


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PF5211** के परमिट संख्या **BR2022-SC-2436A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF5211	BR2022-SC-2436A	15/11/2027	21/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	30/03/2024	02/05/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1679/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**UDAYSHANKER PD.SINGH**

LT.DHARMDEV PD.SINGH

Address- SHERPUR BELA SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR  
842001

Mob. No. 9471665407


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2516** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/86** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P2516	BR/106/SC/B US/2019/86	16/12/2024	13/10/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/11/2021	20/09/2021	16/10/2021	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1680 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**GODAVARI DEVI**

W/O RAGHAVESH KUMAR

Address- ADD 101 BRAHMPURA TOWN/VILL MUZAFFARPUR ANCHAL  
MUSHAHARI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9199636661


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC7839** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/84** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC7839	BR/106/SC/B US/2019/84	16/12/2024	04/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/02/2024	23/02/2022	15/04/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1681/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MRS RITU SHARMA**

W/O RANAVIR KUMAR

Address- AT- MADHAULA ANCHAL- KUNDHANI DIST MUZAFFARPUR  
BIHAR 842001

Mob. No. 9471480440


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR31PA6640 के परमिट संख्या BR2022-SC-2655A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA6640	BR2022-SC-2655A	16/12/2027	15/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/05/2024	11/12/2023	02/08/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1682 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VINAY KUMAR MISHRA**

S/O SHATRU SUDAN MISHRA

Address- LIG-92 NETAJEE SUBHASH CHANDRA BOSE NAGAR COLONY  
SURAJKUND BILANDPUR KHATTA BIHAR 273001

Mob. No. 7678514976


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB4831 के परमिट संख्या BR2022-SC-1339A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB4831	BR2022-SC-1339A	16/06/2027	06/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/03/2024	30/11/2024	30/01/2025	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1683 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**UMAKANT KUMAR SINGH**

S/O KISHORI SINGH

Address- NH WEST MATHIYA JIRAT MOTIHARI MOTIHARI PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 9431288788


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB2985 के परमिट संख्या BR2020-SC-0343A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB2985	BR2020-SC-0343A	16/03/2025	27/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/04/2024	05/01/2025	13/12/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1684/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAM DINESH SINGH**

S/O LT CHANDESHAR SINGH

Address- VILL PO CHAHUTA PS AURAI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 999999

Mob. No. 9525474566


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8744 के परमिट संख्या BR2020-SC-0326A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8744	BR2020-SC-0326A	16/03/2025	13/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/05/2024	10/06/2024	27/12/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1685/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SHANTI DEVI**

W/O KAMESHWAR SINGH

Address- AT PO BATROULI PS SARAIYA MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 9525474566


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD5282** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0335A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD5282	BR2020-SC-0335A	16/03/2025	25/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2024	12/10/2024	26/06/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1686/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAM DINESH SINGH**

CHANDESHWAR SINGH

Address- WARD NO 10 CHIHUTA MUZAFFARPUR BIHAR 843312

Mob. No. 9525474566


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE5043** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0334A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5043	BR2020-SC-0334A	16/03/2025	14/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/03/2024	04/03/2024	07/02/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1687/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**KIRAN SHUKLA**

LATE KAUSHLENDRA SHUKLA

Address- NAYA TOLA SPEAKER CHOWK MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. No. 7488287099


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA7851** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0344A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA7851	BR2020-SC-0344A	16/03/2025	07/02/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/05/2024	03/01/2025	03/05/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1688 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**UDAI SHANKAR PRASAD SINGH**

LATE DHARMDEO PRASAD SINGH

Address- NEAR DURGA MANDIR SHERPUR MAJHAULI DHARMDAS

NARAYANPUR ANANT MUZAFFARPUR BIHAR 842005

Mob. No. 8936085407


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR32PA6157 के परमिट संख्या BR2023-SC-0919A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR32PA6157	BR2023-SC-0919A	16/03/2028	04/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/03/2024	21/07/2024	01/08/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1689/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRAMOD KUMAR SINGH**

BHARAT BHUSHAN SINGH

Address- JHAKHARA JHAKHARA PIPRA KOTHI PURBA CHAMPARAN  
BIHAR 845429

Mob. No. 9431288788


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR05P6921** के परमिट संख्या **BR2023-SC-1477A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P6921	BR2023-SC-1477A	16/05/2028	01/02/2009

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/01/2019	13/03/2024	13/03/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1690 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SARFRAZ AHMAD**

S/O SHAKIR HUSSAIN

Address- WARD NO 43 AZAD RD SARAIYA CHANDWARA MUSAHRI  
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 9431475565


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD8786 के परमिट संख्या BR2022-SC-0824A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8786	BR2022-SC-0824A	17/04/2027	11/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/04/2024	24/07/2022	06/08/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1691/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ KUMAR**

CHANDRABHUSHAN SINGH

Address- AT-PAHARPUR PO-PAHARPUR PS-PAHARPUR PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845458

Mob. No. 9525474566


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA2207 के परमिट संख्या BR2023-SC-1176A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA2207	BR2023-SC-1176A	17/04/2028	25/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/04/2024	13/11/2024	15/11/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1692/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ KUMAR**

S/O -CHANDRA BHUSHAN SINGH

Address- AT-PO-PS-PAHARPUR MOTIHARI MOTIHARI PURBA CHAMPARAN  
BIHAR 845401

Mob. No. 9525474566


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA7071 के परमिट संख्या BR2023-SC-1177A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA7071	BR2023-SC-1177A	17/04/2028	10/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/03/2024	29/04/2023	08/02/2025	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1693 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAMESH MAHTO**

BANGALI MAHTO

Address- ADD -GRAM SISAHI MALDI PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR  
845451

Mob. No. 7481088277


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF2419 के परमिट संख्या BR2022-SC-0191A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2419	BR2022-SC-0191A	17/01/2027	01/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/04/2024	28/10/2024	13/12/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1694/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VINITA DEVI**

W/O -MANOJ KUMAR

Address- AT-PO-PS-PAHRPUR MOTIHARI MOTIHARI PURBA CHAMPARAN  
BIHAR 845401

Mob. No. 9771710009


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR05GA7071** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0354A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05GA7071	BR2020-SC-0354A	17/03/2025	10/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/03/2024	01/05/2023	08/02/2025	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1695/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ANKIT RAJ**

LATE RAMESH KUMAR

Address- HARDASPUR KANTI MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. No. 9951204234


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC9896** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0360A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC9896	BR2020-SC-0360A	17/03/2025	02/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/03/2024	30/05/2024	30/05/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1696/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAM DINESH SINGH**

CHANDESHWAR SINGH

Address- WARD NO 10 CHIHUTA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR  
843312

Mob. No. 9525474566


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE5053** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0352A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5053	BR2020-SC-0352A	17/03/2025	17/10/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/10/2019	04/10/2022	05/06/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1697/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIKASH KUMAR**

JALANDHAR SINGH

Address- BATRAULIYA BAKHRA SARAIYA MUZAFFARPUR BIHAR 843101

Mob. No. 9525474566


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE6438** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/99** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE6438	BR/106/SC/B US/2019/99	18/12/2024	16/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/03/2024	17/05/2024	10/06/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1698/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUNITA KUMARI**

W/O SUDHIR KISHOR PD SINGH

Address- SARVODAY NAGAR BISHANPUR MIRZAPUR BANDUAR  
BEGUSARAI BIHAR 851129

Mob. No. 7992420750


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR09M2625** के परमिट संख्या **BR2021-SC-0037A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR09M2625	BR2021-SC-0037A	18/01/2026	13/02/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/04/2024	02/02/2023	08/10/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1699/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ANAND PRAKASH**

BRAJ MOHAN TIWARI

Address- DHIRAN CHAPRA R K ASHARAM BELA MUZAFFARPUR BIHAR  
842001

Mob. No. 8579070755


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD7855** के परमिट संख्या **510/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7855	510/2019	18/09/2024	19/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/02/2024	09/05/2024	23/01/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1700/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SUDHIR KISHOR PD SINGH**

UMA SHANKAR PD SINGH

Address- SHAMHO SHAMHO BEGUSARAI BIHAR 851129

Mob. No. 9431817368


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC2625** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/109** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PC2625	BR/106/SC/B US/2019/109	19/12/2024	16/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/04/2024	30/06/2023	06/07/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1701/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AVINASH KUMAR**

S/O- SUBHASH CHANDRA AZAD

Address- AT- LODIPUR NEAR- GORAIYA BABA ASTHAN, MANHGUPUR  
PATNA BIHAR 801109

Mob. No. 9122602417


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PK7646 के परमिट संख्या BR2021-SC-1385A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PK7646	BR2021-SC-1385A	19/07/2026	16/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	08/01/2025	23/06/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1702/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PUNAM KUMARI ULA/B S R T C**

MAHIP KUMAR

Address- MAHMADPUR MDPUR BADAL DAMODAR SAKRA

MUZAFFARPUR BIHAR 800001

Mob. No. 9006581351


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR33PA5211 के परमिट संख्या BR2022-SC-0898A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR33PA5211	BR2022-SC-0898A	20/04/2027	09/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/04/2024	03/01/2025	16/07/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1703 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAMESH KUMAR**

VISHWANATH THAKUR

Address- AIRTEL TOWER WARD NO 2 KISHUN NAGAR KANTI  
MUZAFFARPUR BIHAR 800001

Mob. No. 9931694653


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8172 के परमिट संख्या BR2020-SC-0616A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8172	BR2020-SC-0616A	20/12/2025	11/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/03/2024	18/04/2024	07/08/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1704/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**KUNAL**

S/O - SRI JAI PRAKASH PANDEY

Address- AT-HARDIYA PO-ARERAJ MOTIHARI PURBA CHAMPARAN BIHAR  
845411

Mob. No. 7717723422


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA0906 के परमिट संख्या BR2020-SC-0394A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA0906	BR2020-SC-0394A	20/03/2025	09/10/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/10/2021	02/02/2022	18/08/2021	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1705/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMITESH KUMAR PANDEY**

S/O - JAYPRAKASH PANDEY

Address- AT- HARDIYA , ARERAJ EAST CHAMPARAN ,ARERAJ PURBA  
CHAMPARAN BIHAR 845411

Mob. No. 7004396847


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB1161 के परमिट संख्या 521/2019 का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB1161	521/2019	20/09/2024	25/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/09/2023	29/07/2023	28/11/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1706/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VIJAY KUMAR THAKUR**

RAM SAROVAR THAKUR

Address- AT-IMLICHATTI INFRONT OF POST OFFICE PO-HPO PS-  
BRAHMPURA MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7488217551


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PD7551** के परमिट संख्या **BR/106/SC/709/2010** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7551	BR/106/SC/709/2010	21/08/2025	05/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/03/2024	23/11/2024	16/05/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1707/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**ARVIND KUMAR**

SRI RAM BABU RAY

Address- AT-STATION ROAD DEVI CHAK FATUHA PATNA BIHAR 803201

Mob. No. 9234068157


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR21P5950** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0080A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR21P5950	BR2020-SC-0080A	22/01/2025	26/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/03/2024	11/08/2024	10/07/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1708/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MUKESH KUMAR**

S/O LT.PERMANAND MAHTO

Address- AT+PO- KARHATIYA BUZURG PS-GORAUL VAISHALI VAISHALI  
BIHAR 999999

Mob. No. 9661308591


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31P5809** के परमिट संख्या **BR2020-SC-0084A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P5809	BR2020-SC-0084A	22/01/2025	19/02/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/04/2024	11/01/2021	25/03/2020	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1709/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAKESH KR JHA**

S/O RAGHUNATH JHA

Address- AT NAYA TOLA SPEAKER CHOWK MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7488287099


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06GC2151** के परमिट संख्या **BR/106/SC/187/2012** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06GC2151	BR/106/SC/187/2012	23/04/2027	01/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/04/2024	22/01/2025	18/06/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1710/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAM DINESH SINGH**

S/O LATE CHANDESHWAR SINGH

Address- VILL PO CHAHUTA PS AAURAI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
BIHAR 842001

Mob. No. 9525474566


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8745 के परमिट संख्या BR2023-SC-1527A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8745	BR2023-SC-1527A	23/05/2028	14/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/05/2024	13/12/2024	23/06/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1711/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRABHANJAN KUMAR THAKUR**

S/O CHANDRA SHEKHAR THAKUR

Address- BHAWANIPUR ZIRAT MOTIHARI PURBA CHAMPARAN BIHAR  
845401

Mob. No. 9973434796


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR05PA8721** के परमिट संख्या **417/2019** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA8721	417/2019	23/09/2024	27/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/04/2024	26/08/2024	18/10/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1712/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**HUSNA ARA**

MUNNA ANSARI

Address- ADD WARD NO 19 BANGRA SUGAULI PURBA CHAMPARAN  
BIHAR 845456

Mob. No. 8809454002


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE7329 के परमिट संख्या BR2021-SC-0332A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7329	BR2021-SC-0332A	24/02/2026	30/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/04/2023	15/01/2023	24/01/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1713/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AMAN BAGLA**

AJAY KUMAR BAGLA

Address- OLD EXCHANGE ROAD WARD NO 10 CHAKMAHILA SITAMARHI  
BIHAR 843302

Mob. No. 9431845049


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE9966 के परमिट संख्या BR2021-SC-0331A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE9966	BR2021-SC-0331A	24/02/2026	10/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07/05/2024	18/11/2024	09/11/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1714/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BSRTC**

NA

Address- AT-PARIWAHAN BHAWAN BEERCHAND PATEL PATH PATNA  
PATNA BIHAR 800001

Mob. No. 7766865601


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PF7647** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0343A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PF7647	BR2023-SC-0343A	24/01/2028	06/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/03/2024	13/03/2024	05/07/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1715/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BUIDCO**

NA

Address- BIRCHAND PATEL PATH PARIWAHAN BHAWAN PATNA PATNA  
BIHAR 800001

Mob. No. 8789260966


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PH4320** के परमिट संख्या **BR2023-SC-0345A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH4320	BR2023-SC-0345A	24/01/2028	26/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	13/03/2024	06/07/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1716/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**HARI BANSI NARAYAN SINGH**

S/O -RAM SEWAK SINGH

Address- AT-BRAHAMPURA PO-MIT PS-MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR  
ROHTAS BIHAR 821115

Mob. No. 9798076608


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR24P3102** के परमिट संख्या **BR2021-SC-0692A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR24P3102	BR2021-SC-0692A	24/03/2026	25/04/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/04/2024	15/03/2022	18/04/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1717/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MANOJ KUMAR**

CHANDRA BHUSHAN SINGH

Address- PAHARPUR PAHARPUR PURBA CHAMPARAN BIHAR 845458

Mob. No. 9771710009


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PD7271** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/117** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7271	BR/106/SC/B US/2019/117	26/12/2024	20/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/02/2024	30/07/2024	03/05/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1718/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PRAKASH KUMAR**

RAJESHWAR PRASAD RAKESH

Address- NARAYANPUR DEDHPURA PS MAHANAR VAISHALI BIHAR  
844505

Mob. No. 9334902252


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA7163 के परमिट संख्या BR2021-SC-1543A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA7163	BR2021-SC-1543A	26/07/2026	19/07/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/04/2024	28/09/2021	06/08/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1719/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**GEETA DEVI**

W/O SATRUDHAN THAKUR

Address- AT-MADHAUL PO-SUSTA PS-KUDHANI MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 8998000000


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PA8640** के परमिट संख्या **00111/2014** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA8640	00111/2014	26/06/2024	17/11/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/03/2024	22/06/2020	01/08/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1720 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**MAHIP KUMAR**

LATE RAM NARAYAN SINGH

Address- MAHMADPUR DAMODAR SAKRA BADAL MUZAFFARPUR BIHAR  
800001

Mob. No. 9006581351


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PE4511** के परमिट संख्या **BR2021-SC-0707A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE4511	BR2021-SC-0707A	26/03/2026	19/07/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/04/2024	18/07/2024	30/09/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1721/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**RAKESH KR JHA**

S/O RAGHUNATH JHA

Address- AT NAYA TOLA SPEAKAR CHOWK MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. 7488287099


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06PC9651** के परमिट संख्या **BR2021-SC-2087A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC9651	BR2021-SC-2087A	26/09/2026	02/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/05/2024	10/03/2024	19/09/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1722/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**SHATRUGHAN PRASAD YADAV**

S/O MAHANTH CHAUDHARY

Address- AT BADHEYA TOLA AUDANPATTI PO BADHEYA PS MIRGANJ

GOPALGANJ BIHAR 841436

Mob. No. 9939939395


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR28B9591** के परमिट संख्या **BR2021-SC-2080A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28B9591	BR2021-SC-2080A	26/09/2026	18/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/02/2024	18/02/2024	29/07/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।



# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1723 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**AJAY KUMAR**

S/O DEO NANDAN PRASAD SINGH

Address- 64E, RAJENDRA NAGAR PATNA PATNA PATNA BIHAR 999999

Mob. No. 9436986578


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PB6321** के परमिट संख्या **BR2021-SC-1585A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैटकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PB6321	BR2021-SC-1585A	28/07/2026	21/12/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/03/2024	24/01/2022	19/05/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1724/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BSRTC**

NA

Address- AT BIRCHAND PATEL PATH PARIWAHAN BHAWAN PATNA  
PATNA BIHAR 800001

Mob. No. 7079326300


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PH4318** के परमिट संख्या **BR2022-SC-2545A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH4318	BR2022-SC-2545A	29/11/2027	26/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	13/03/2024	05/07/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1725 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BSRTC**

NA

Address- AT BIRCHAND PATEL PATH PARIWAHAN BHAWAN PATNA  
PATNA BIHAR 800001

Mob. No. 7546910865


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PH4321** के परमिट संख्या **BR2022-SC-2549A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH4321	BR2022-SC-2549A	29/11/2027	26/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	13/03/2024	06/07/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1726/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BSRTC**

NA

Address- VEER CHAND PATEL PATHA PARIVAHAN BHAWAN PATNA  
PATNA BIHAR 800001

Mob. No. 7079326300


**विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PH4332 के परमिट संख्या BR2022-SC-2547A का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH4332	BR2022-SC-2547A	29/11/2027	29/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	13/03/2024	05/07/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1727/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**BSRTC**

NA

Address- BIRCHAND PATEL PATH PARIWAHAN BHAWAN PATNA PATNA  
BIHAR 800001

Mob. No. 7079326300


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR01PH4367** के परमिट संख्या **BR2022-SC-2546A** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH4367	BR2022-SC-2546A	29/11/2027	29/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	13/03/2024	05/07/2023	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1728/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**VINITA DEVI**

W/O - MANOJ KUMAR

Address- AT-PO-PS- PAHARPUR DIST- EAST CHAMPARAN MOTIHARI  
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No. 8851990734


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P4575** के परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/125** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P4575	BR/106/SC/B US/2019/125	30/12/2024	23/05/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/03/2024	05/02/2025	08/02/2025	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

# कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1729/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 13.03.2024

प्रेषित,

**PANKES RANJAN**

P.K.MISHRA

Address- RASULPUR ZILANI KAZIMOHAMDPUR MUZAFFARPUR  
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No. 0


**विषय:-** आपके वाहन संख्या **BR06F0666** के परमिट संख्या **000188/2014** का प्रतिहस्ताक्षर कराकर साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए निदेशित किया गया है कि जैसे सभी बसों का परमिट जिनका मार्ग पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, का प्रतिहस्ताक्षर दो माह के अंदर कराकर यदि कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं करते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके द्वारा परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06F0666	000188/2014	30/09/2024	14/11/2019

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/11/2019	28/02/2019	13/03/2024	N/A

अतएव निदेशित किया जाता है कि आप अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर एक माह के अंदर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।